स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–18, अंक–10, आश्विन–कार्तिक 2067, अक्टूबर 2010

संपादक

विक्रम उपाध्याय

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011-26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से
ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट
बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन
शाहदरा, दिल्ली-32 से मुद्रित।

आवरण कथा-6

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रामराज्य की व्यवस्था के प्रबल आग्रही थे।

कवर पेज

अ नु क्र म

आवरण लेख

आस्था के साथ राम की व्यवस्था स्थापित करने का समय
– स्वदेशी संवाद **5**

कृषि

भुखमरी का बढ़ता खतरा
– देविंदर शर्मा **8**

बाढ़

बहुत कुछ कहती है बाढ़
– निरंकार सिंह **11**

चर्चा

विश्व महाशक्ति बनने की चुनौती
– डॉ. भरत झुनझुनवाला **13**

प्रतिक्रिया

तुष्टीकरण की एक घिनौनी कोशिश
– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल **16**

बलिदान व पवित्रता का प्रतीक भगवा
– दीवान अमित अरोड़ा **19**

पर्यावरण

धरती को बचाना है तो नालों को नदियां बनाना होगा
– राजेन्द्र सिंह **22**

अस्तित्व : उपेक्षित है हिन्दी साहित्यकारों के स्मारक
– उमेश प्रसाद सिंह **24**

दसवीं राष्ट्रीय सभा (जालंधर)

पारित प्रस्ताव–1,2,3 **27**

विचार–विमर्श : कश्मीर पर कमजोर नीति
– अरुण जेटली **30**

मुद्दा : गर्त में गांव
– शिरीष खरे 32

पाठकनामा/2, समाचार परिक्रमा/4
आंदोलन/35

पाठकनामा

विदेशी भाषा से प्रेम, पर हिन्दी का अपमान क्यों?

स्वदेशी पत्रिका का अंक मैं काफी दिनों से पढ़ता रहता हूँ और हर बार कोशिश करता हूँ कि पत्रिका के लिए कुछ अपने विचार लिखूं। परंतु समय न मिल पाने के कारण मैं नहीं लिख पाया। परंतु बीते माह 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया और तुरंत मुझे काफी दुख हुआ। पहले मैं भी हिन्दी दिवस मनाया करता था परंतु जबसे स्वदेशी पत्रिका पढ़ी तब से देश के लिए कुछ करने का विचार आया। मुझे दुख होता है कि भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी है तो फिर हिन्दी दिवस क्यों? लगता है यह सब हमारे राजनेताओं का ही दोष है। जब हम सभी लोग हिन्दी बोलते हैं तो फिर हिन्दी को केवल सितंबर माह के एक सप्ताह में ही निपटा दिया जाता है वो भी अपमानसूचक बनाकर।

इस हिन्दी दिवस पर हम सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर हिंदी की याद ताजा कर लेते हैं या यह कहें कि हम साल में एक दिन हिंदी को श्रद्धांजलि देने पहुंच जाते हैं। आज हिन्दी भाषा को बोलने वाले को असभ्य कहा जाता है। हमारे नेता, अभिनेता और मीडिया चैनल सब हिन्दी की कमाई खाते हैं परंतु इसका अपमान हर समय करते रहते हैं। अगर हिन्दी का अपमान ही करना है तो अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? ताकि जो लोग हिन्दी बोलते है और जिन्हें असभ्य कहा जाता है उनका भी कल्याण हो जाएगा।

– पवन पाण्डेय, O–115A इंद्रप्रस्थ, गाजियाबाद

पत्रिका का अगस्त 2010 का अंक प्राप्त हुआ। अंक देखकर प्रसन्नता हुई कि मेरे द्वारा लिखित लेख 'संस्कारित राष्ट्र' प्रकाशित था। मेरे मन के भावों को पत्रिका में स्थान देने हेतु मैं आपका आभारी हूँ। इससे पूर्व जनवरी 2010 के अंक में भी 'रैगिंग' विषय पर लेख का प्रकाशन हो चुका है। वैसे तो पानीपत नगर में, मैं टैक्सटाईल उद्योग चलाता हूँ परंतु मुझे लिखना का काफी शौक है और वर्तमान समय की परिस्थितियों पर अपने विचार लिखता रहता हूँ। अगस्त माह के मेरे लेख 'संस्कारित राष्ट्र' में मेरा नाम गलत प्रकाशित हुआ है। मेरा नाम 'अरविन्द हंस' जबकि प्रकाशित हुआ है अरविन्द सिंह। अतः आपसे अनुरोध है कि आगे से ऐसे त्रुटियाँ न करें। **– अरविन्द हंस, एल–82, माडल टाऊन, पानीपत**

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com
अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

खेल होना अच्छी बात है लेकिन जिस तरह आज ब्रिटेन की महारानी की मशाल के पीछे पूरा देश दौड़ रहा है। जिन अंग्रेजों ने हमारे लाखों लोगों को बर्बरतापूर्वक मार डाला था, उनकी गुलामी को याद करना बेवकूफी है।

– रामदेव बाबा योगगुरू

अब राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में होना चाहिए न कि किसी देवी–देवता के प्रतीक के रूप में। कटुता भुलाकर एक साथ मंदिर निर्माण में जुट जाना चाहिए।

– मोहन भागवत,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख

फैसला कुछ हमारे पक्ष में और कुछ हमारे खिलाफ। यह न किसी पक्ष की हार है और न किसी पक्ष की जीत। यह अंतिम समाधान की दिशा में एक कदम है।

– जहरयाब जिलानी,
सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील

संपादकीय

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता आम आदमी

देश में दो वर्ग हैं – एक जो अभिजात्य है और दूसरा वह जो अतिनिम्न। दोनों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। सरकार सामाजिक योजनाओं के नाम पर लाखों करोड रुपए खर्च कर रही है। अकेले मनरेगा के बजट करीब एक लाख करोड़ रुपया है। इसके अतिरिक्त दर्जनों ऐसी योजनाएं है, जिनमें अंधाधुंध व्यय किए जा रहे हैं। प्रश्न स्वाभाविक है कि जनता की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सामाजिक क्षेत्र में निवेश के बावजूद आम आदमी के जीवन पर सकारात्मक असर क्यों नहीं पड़ता। जो गरीब है, वो सदा के लिए गरीबी से पीड़ित रहने के लिए अभिशप्त है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? क्या योजनाओं के ढांचे इतने लचीले हैं कि धरातल तक उनका प्रभाव आता ही नहीं। हाल ही में एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि भारत दुनिया के दस सबसे भ्रष्ट देश में शामिल हो गया है। तो क्या सामाजिक क्षेत्र में झोका जा रहा धन भ्रष्टाचारियों की झोली में चला जा रहा है। हालांकि इस तरह के सर्वेक्षण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि ऐसे सर्वेक्षण को सही ठहराते हैं।

अगर यूँ ही चलता रहा तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर भी आ सकता है। इस तरह भारत में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि अब यह निजी क्षेत्र पर छा चुका है। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चोरी के आरोप में पकड़े गये एक युवक ने बताया कि एक निजी साफ्टवेयर कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 40 हजार रुपये की रिश्वत ले ली गई और उसे कुछ दिन बाद नौकरी से भी निकाल दिया गया। उसके पास चोरी के सिवाय कोई कोई विकल्प नही बचा। अभी तक भ्रष्टाचार की अधिकतर सूचनाएं सरकारी विभाग और उनसे जुड़े अधिकारियों के बारे में ही मिलती रहीं हैं। भ्रष्टाचार को यदि अब भी नहीं रोका गया तो पूंजी का अधिकांश हिस्सा अनुपयुक्त हो जाएगा और सिस्टम से पैसा गायब होता जाएगा। भ्रष्टाचार से उगाया गया घन का अधिकतम उपयोग विलासिता संबंधी व्यय पर होता हैं। बेरोजगारी बढ़ती है और उद्योग धंधे चौपट होते हैं। समाज का नैतिक बल कमजोर होता है। देश के लिए यह त्रासदी है कि भ्रष्टाचार को सामाजिक बुराई के रूप में अब नहीं देखा जा रहा है। भ्रष्टाचार से बचने या डरने के बजाय उसे ढंकने का मार्ग ढूढ़ लिया गया है। समाज या परिवार के अंदर विरोध करने की परिपाटी खत्म हो गई है। भ्रष्टाचार में पकड़े जाने के बाद भी किए की सजा नहीं मिलती। सजा मिलती भी है तो इतनी कम कि समाज पर कोई असर ही नहीं पड़ता।

कहने को देश में पूर्णरूप से सतर्कता आयोग चलता है। इसका प्रमुख काम ही सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना है। लेकिन ये विभाग खुद ही अस्त–व्यस्त है। विभाग का कहीं से भी उपयोगी नजर नहीं आता । एक नहीं दर्जनों भ्रष्टाचार के बड़े मामले सामने आए लेकिन हमारा सतर्कता आयोग हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया लेकिन आज तक किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। अदालतें सरकार और सरकारी विभाग से इन घोटालों और भ्रष्टाचारों पर हुई जांच की रिपोर्ट मांग रही हैं। लेकिन भ्रष्ट लोग अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं।

जेब में पैसे फिर भी सब्जी नहीं मिलेगी

हमारी कृषि पैदावार खासकर सब्जियों के उत्पादन पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। यह खतरा परागण करने वाली मधुमक्खियों एवं अन्य कीटों की तेजी से घटती संख्या के कारण पैदा हुआ है। अभी तो महंगाई के कारण सब्जी थाली से गायब होती जा रही है लेकिन वह दिन दूर नहीं जब जेब में पैसा होने पर भी सब्जी नहीं मिलेगी। देश के शोधकर्ताओं ने कहा है कि प्रकृति की इस मुफ्त सेवा के खत्म होने का पैदावार पर लंबे समय तक असर रहेगा।

सभी देशों में रोजगार के संकट बरकरार

आज प्रत्येक देशों ने वित्तीय संकट के दौर में अपने खर्च कटौती के कई उपाय किए हैं। इसकी वजह से वैश्विक रोजगार बाजार में फिलहाल संकट के बादल छंटने की संभावना कम नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार कई देशों में रोजगार के अवसर मंदी से पहले की स्थिति में पहुंचने में अभी पांच साल और लगेंगे। रिपोर्ट के अनुसार कई देशों में स्थिति और खराब है। आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में मजदूरी और कार्यस्थलों की खराब स्थिति की वजह से बढ़ती सामाजिक अशांति का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की दर वर्ष 2010 में घटकर 6.5 प्रतिशत पर आ जाएगी। पिछले साल यह 6.6 प्रतिशत थी। एशिया और लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुधार से रोजगार की स्थिति सुधरी है। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले इनकी रफ्तार धीमी रहेगी।

अब चीनी भाषा भी पढ़ाई जाएगी

चीन के लगातार भारत विरोधी कदम के बीच भारत ने एक बड़ी सकारात्मक पहल की है। इसके तहत चीन में ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन अब भारत के बच्चों को भी पढ़ना पड़ सकता। इस भाषा को सीबीएसई पाठयक्रम का हिस्सा बनाया जा सकता है।

भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने इस दिशा में शुरुआत कर दी है। कपिल सिब्बल के अनुसार चीन हमारा शक्तिशाली पड़ोसी और वैश्विक संसाधनों का सबसे बड़ा उभरता उपभोक्ता देश है। हम इससे दूर नहीं रह सकते। चीन को भारत में पेश करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि उसकी भाषा को अपने यहां पेश किया जाए। स्कूलों में शुरुआती स्तर पर ही यह भाषा पढ़ाई जाए तो बच्चों में चीन को लेकर दिलचस्पी जगाई जा सकती है।

अमरीका में हर सातवां आदमी गरीब

आज सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में हर सातवां व्यक्ति गरीबी है। यह बात हम नहीं कह रहे है बल्कि अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में गरीबों की संख्या 4.36 करोड़ है। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि वर्ष 2009 में देश में गरीबों की संख्या में लगभग दस फीसदी इजाफा हुआ। वहीं वर्ष 2008 में 3.98 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे जो यहां की जनसंख्या का 13.2 फीसदी हिस्सा था। गौरतलब है कि यह आंकडा अमेरिका की जनसंख्या का 14.3 फीसदी हिस्सा है।

दुनिया में घटने लगी भुखमरी

दुनिया में भुखमरी के शिकार लोगों की तादाद घटकर एक अरब से कम हो गई है। इसे 2008 की तुलना में अच्छी फसल और खाद्य पदार्थों के गिरते दामों का नतीजा बताया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की रपट में यह जानकारी दी गई है। हालांकि भुखमरी का यह आंकड़ा भी संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य से काफी दूर है।

संयुक्त राष्ट्र के यहां स्थित खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में वर्तमान में करीब 92 करोड़ 50 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। पिछले साल करीब 1.02 अरब लोग भुखमरी का झेल रहे थे। उनकी तादाद भले घट गई हो, लेकिन ताजा आंकड़ा भी स्वीकार्य नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्र ने भुखमरी से ग्रस्त लोगों की तादाद कम करने के लिए 'ग्लोबल मिलेनियम गोल' निर्धारित किया है। इसके तहत विकासशील देशों में वर्ष 2015 तक कुपोषण या भुखमरी झेल रहे लोगों की तादाद 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1992 में यह आंकड़ा 20 प्रतिशत था।

भारत और चीन 40 प्रतिशत गरीबी

रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के मामले में भारत और चीन ने तरक्की जरूर की है लेकिन दुनिया की 40 प्रतिशत कुपोषित आबादी आज भी इन्हीं दोनों देशों में रहती है। इस मामले में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कांगो और इथोपिया के नाम भी जोड़े जा सकते हैं।

आस्था के साथ राम की व्यवस्था स्थापित करने का समय

देश की आजादी के समय भी यह प्रश्न उठा था कि क्या भारत रामराज्य की व्यवस्था अपनाएगा या रूस राज्य की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रामराज्य की व्यवस्था के प्रबल आग्रही थे तो जवाहरलाल नेहरू रूस राज्य की व्यवस्था के। भारत अब तक अतिऔद्योगिकीकरण और अतिपूंजीवाद का पूरा स्वाद चख चुका है। आजादी के 60 साल बाद भी गरीबी खत्म नहीं हो सकी। वंचितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. . .सारे विकल्प को आजमाने के बाद क्या एक बार अपनी प्राचीन व्यवस्था को पुनः तथा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। राम राज्य का परिकल्पना को साकार करने का यह उचित समय है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद कि विवादित भूमि ही राम जन्मभूमि है और रामलला की पूजा वहां होती रही है और होती रहेगी, वहां भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को इस फैसले से अपार खुशी मिली है। यह खुशी हजारों गुणा तब और बढ़ जाती जब इस देश के राजनीतिज्ञ आर्थिक मामले में भी रामराज्य का मार्ग प्रशस्त करते। अतिभोग और अतिव्यय की अर्थनीति को छोड़ सबको संपन्न और योग्य बनाने की नीतियां इस देश में लागू होती। कोई मंत्री या अधिकारी रिश्वत लेकर किसी कंपनी या

■ स्वदेशी संवाद

व्यक्ति को चुपके से अमीर बनाने का रास्ता न देकर सबको समान अवसर उपलब्ध कराता और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल कायम करता। आज के अर्थशास्त्री भी यह मानते हैं कि मौजूदा अर्थनीति लोगों के बीच खाई और गहरी करने वाली नीति है। कुछ मुट्ठी भर ''संपन्न और समर्थ'' लोग पूरे देश की पूंजी पी जाने में लगे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है। दुबारा फिर से बहस होनी चाहिए कि किसी देश की उन्नति बहुऔद्योगिकीकरण में है, विदेशी पूंजी की निर्भरता में है या फिर ग्राम विकास और व्यक्ति विकास की नीति में है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का इतिहास देखे तो यही लगता है कि तमाम अर्थशास्त्री मिलकर भी दुनिया को विकास का कोई संतुलित मॉडल नहीं दे सके है। विकास के इस क्रम में समृद्धि पर असंतोष हावी है। समग्र विकास के बजाय विभाजित और खंडित समाज का निर्माण हो रहा है। सुविधाओं के बढ़ने के साथ–साथ अभावों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत इस नवविकास की अवधारणा के कारण ज्यादा पीड़ित है। संस्कृति और सभ्यता से

जुड़े चिंतकों में निराशा ज्यादा गहराती जा रही है। ऐसे में अयोध्या मामले पर नई पहल ने सोंचने पर लोगों को फिर मजबूर कर रही है कि रामरूपी आस्था के साथ–साथ क्या रामरूपी व्यवस्था की भी नींव पड़ेगी।

देश की आजादी के समय भी यह प्रश्न उठा था कि क्या भारत रामराज्य की व्यवस्था अपनाएगा या रूस राज्य की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रामराज्य की व्यवस्था के प्रबल आग्रही थे तो जवाहरलाल नेहरू रूस राज्य की व्यवस्था के। भारत अब तक अतिऔद्योगिकीकरण और अतिपूंजीवाद का पूरा स्वाद चख चुका है। आजादी के 60 साल बाद भी गरीबी खत्म नहीं हो सकी। वंचितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभावग्रस्त समाज का क्रोध बढ़ता जा रहा है । आखिर विषमता को दूर करने के लिए हमारे पास उपाय क्या है। सारे विकल्प को आजमाने के बाद क्या एक बार अपनी प्राचीन व्यवस्था को पुनः तथा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। राम राज्य का परिकल्पना को

साकार करने का यह उचित समय है। मुगलकालीन शासन व्यवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जब रामराज्य की खुबियां गिनवाते है तो हर हिन्दुस्तानी का मन स्वतः इस व्यवस्था के प्रति भर जाता है। गोस्वामी जी लिखते है :–

।। राम राज्य बैठे त्रिलोका,
हर्षित भये गये सब शोका ।।

अर्थात् भगवान राम जब तीनों लोक के राजा बनें तो सभी लोग आनंदित हो गए और भय और शोक एकदम से गायब हो गया। राम राज्य में गरीब अमीर के बीच कोई अंतर नहीं रहा। सबको समान अवसर मिले और सभी राज्य के संपत्ति के बराबर हकदार रहे। क्या किसी और अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई उदाहरण मिलता है। यही नहीं गोस्वामी जी आगे

प्रभु राम के राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि न तो किसी को शारीरिक कष्ट था न दैविक और न सांसारिक। यानि राम का सुशासन ऐसा था कि हर प्रकार की जरूरतें लोगों को आप ही पूरी हो रही थी। भगवान राम के शासनकाल में आर्थिक व्यवस्था ऐसी थी कि परस्पर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए कोष भंडारण भी स्वतः चल रहा था। न किसी को लगान देने में पीड़ा होती थी और न सरकार से सहायता लेने में कोई अतिरिक्त भार उठाना पड़ता था।

कहते हैं :–

।।दैहिक, दैविक, भौतिक तापा,
राम राज्य नहीं कहवीं व्यापा।।

यानी प्रभु राम के राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि न तो किसी को शारीरिक कष्ट था न दैविक और न सांसारिक। यानि राम का सुशासन ऐसा था कि हर प्रकार की जरूरतें लोगों को आप ही पूरी हो रही थी। भगवान राम के शासनकाल में आर्थिक व्यवस्था ऐसी थी कि परस्पर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए कोष भंडारण भी स्वतः चल रहा था। न किसी को लगान देने में पीड़ा होती थी और न सरकार से सहायता लेने में कोई अतिरिक्त भार उठाना पड़ता था।

आज हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी ही यही है कि देश–समाज दो भागों में बंट गया है। एक दूसरे के पूरक बनने के बजाय वर्ग संघर्ष का भीषणतम दौर चल रहा है। चाहे आतंकवाद की घटना हो या नक्सल आंदोलन, इनका आधार ही आपसी वैर और वैमनस्य बन गया है। जबकि भगवान राम के राज्य में वैर और वैमनस्य का कोई स्थान ही नहीं था। गोस्वामी जी कहते हैं :–

।। बैर ना कर कहूं सन कोई,
राम प्रताप विषमता खोई।।

प्रभु का प्रताप ही ऐसा था कि सारी प्रजा अपने आपको उनका एक अंश मानती थी, कोई किसी से न तो वैर रखता था न एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगता था।

आए दिन यह खबरें पढ़ने और देखने को मिलती है कि गरीबों के साथ सार्वजनिक रूप से जुल्म हो रहे हैं। कोई अमीरी के नशें में किसी गरीब की अस्मत

क्या ऐसे समाज का निर्माण किसी राष्ट्र के हित में है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्हीं अमीरी–गरीबी, संपन्नता और विपन्नता की खाई ने देश को खोखला बना दिया है। क्या हमारी जरूरत नहीं कि हम उस व्यवस्था का निर्माण करे जहां लोग समान धरातल पर खड़े हो सके, जहां सभी को परिवार, समाज और देश के विकास में योगदान का अवसर मिले।

लूट लेता है तो कोई अभाव के कारण अपने बच्चे तक बेच देता है। किसी के पास इतना भी साधन नहीं कि वह दो जून की रोटी खा सके और किसी के पास इतना है कि वह अरबों सिर्फ अपने विलासिता के शौक पर खर्च कर डालता है।

क्या ऐसे समाज का निर्माण किसी राष्ट्र के हित में है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्हीं अमीरी–गरीबी, संपन्नता और विपन्नता की खाई ने देश को खोखला बना दिया है। क्या हमारी जरूरत नहीं कि हम उस व्यवस्था का निर्माण करे जहां लोग समान धरातल पर खड़े हो सके, जहां सभी को परिवार, समाज और देश के विकास में योगदान का अवसर मिले। ऐसा तो रामराज्य की स्थापना में ही हो सकता है। तुलसीदास ने लिखा हैः

।। न हीं दरिद्र कोई दुखी न दीना,
नहीं कोई अबूध न लक्षण हीना।।

राम राज्य में न तो कोई गरीब था न कोई दीन। न कोई मूर्ख था और न कोई हीन। हर व्यक्ति की अपनी पहचान और उसका अपना स्थान था।

भगवान राम के बाद भी सदियों तक उनकी व्यवस्था चलती रही। आज पूरी दुनिया में वैदिक अर्थशास्त्र की धूम है। संसाधन का समान वितरण और व्यापार में नैतिकता वैदिक अर्थव्यवस्था के दो मूलाधार थे। हमारी परंपरा यह सिखाती है कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान का अंश है। ईश्वर के द्वारा ही सारे कार्य संचालित होते हैं। किसी भी कार्य में तभी बरक्कत होती है, जब उसे ईमानदारी और नैतिकता के साथ किया जाए। आज की अर्थव्यवस्था और विश्व व्यापार में ये ही तत्व नहीं है। आधुनिक अर्थव्यवस्था मानती है कि मुनाफा ही सभी आर्थिक या व्यावसायिक गतिविधियों की हेतु है। मुनाफा के लिए नैतिक या अनैतिक आचरण दोनों जायज हैं। व्यक्ति सिर्फ श्रम है उसका कोई दैविक या अध्यात्मिक पक्ष नहीं है। मुनाफे का वितरण व्यक्तिगत हितों से संचालित होता है। यह भय किसी को नहीं सताता कि उसके द्वारा किया गया अनैतिक कार्य ईश्वर की नजर में हमेशा आता है और ईश्वर उसी के आधार उसे पाप या पुण्य का भागी बनाता है। जबकि वैदिक अर्थव्यवस्था में यह आम धारणा थी कि ईश्वर का ही एक अंश अपनी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर के दूसरे अंश के साथ व्यापार व्यवहार करता है। वैदिक अर्थव्यवस्था की धूरी थी भूमि और कृषि। स्थानीय लोग ही भूमि के मालिक हो सकते थे। जिनके हाथ में कृषि होती थी वही पालनहार की भूमिका निभाते थे। पर आज अवधारणा बदल गई है। ❑

भुखमरी का बढ़ता खतरा

15 अगस्त, 1955 को लालकिले की प्राचीर से भाषण देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी भी देश के लिए खाद्यान्न का आयात करना बहुत शर्मनाक है। इसलिए हर कोई इंतजार कर सकता है, कृषि नहीं। यह आश्चर्यजनक है कि अब मनमोहन सिंह सरकार का मानना है कि खाद्य सुरक्षा को आयात किया जा सकता है। उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहीत करना जरूरी है, क्योंकि अकेले औद्योगिक क्षेत्र के कारण उच्च विकास दर हासिल की जा सकती है। इस गलत सोच से खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता।

■ देविंदर शर्मा

वर्तमान में, मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में वितरण के लिए 200 लाख टन से 240 लाख टन खाद्यान्न का भंडारण होता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार 450 से 500 लाख टन के बीच औसत खाद्यान्न भंडारण कर रही है। इतने भारी भंडार के बावजूद खाद्य और कृषि मंत्री शरद पवार ने प्रत्येक पात्र परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने में असमर्थता जता दी है।

भारत एक हजार बगावतों को झेल रहा है। देश भर में जगह–जगह गरीब किसान संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें डर है कि सरकार और उद्योगपति उनकी जमीन हड़प लेंगे। कर्नाटक के मंगलूर से लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक और पश्चिम बंगाल के सिंगुर से लेकर पंजाब के मनसा तक पूरा ग्रामीण अंचल उबल रहा है। बड़ी मात्रा में उर्वर कृषि भूमि गैरकृषि कार्यों के लिए किसानों से छीनी जा रही है। उदाहरण के लिए अलीगढ़ के किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किया गया संघर्ष, जो हिंसक मोड़ लेने के बाद राजनीतिक दलों का अखाड़ा बन गया था, को किसानों द्वारा अधिक मुआवजा हासिल करने की लड़ाई बताया जा रहा है, जबकि असलियत यह है कि अधिसंख्य किसान अपनी पुश्तैनी भूमि छोड़ना ही नहीं चाहते। उन्हें ऐसा करने को मजबूर किया जा रहा है। इसके खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर निहितार्थ हैं।

आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। साथ ही यह खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। सिंधु–गंगा मैदानी भाग में उर्वर भूमि को हरित क्रांति पट्टी का अंग माना जाता है। 410 लाख टन खाद्यान्न के अलावा यहां 1.3 करोड़ टन गन्ना और 1.05 करोड़ टन आलू की पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश पंजाब से भी अधिक खाद्यान्न पैदा करता है, किंतु विशाल आबादी के कारण पूरा खाद्यान्न प्रदेश में ही खप जाता है। फिर भी यह तो उल्लेखनीय है ही कि उत्तर प्रदेश कम से कम अपनी जनता का पेट तो भर पा रहा है।

यह स्थिति बदलने वाली है। यही चिंता की बात है। आठ लेन का प्रस्तावित एक्सप्रेस वे और सड़क के किनारे बसने वाली टाउनशिप, साथ ही अन्य औद्योगिक, भवन निर्माण और निवेश परियोजनाओं में करीब 23000 गांवों की जमीन खप जाएगी। यद्यपि मायावती सरकार ने

यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे बसने वाली टाउनशिप की एक योजना रद्द कर दी है, किंतु इसका निर्माण करने वाली कंपनी का कहना है कि समझौते के अनुसार राज्य सरकार को जमीन देनी ही पड़ेगी। अलीगढ़ और आगरा में नहीं तो किसी अन्य स्थान पर सही।

पूर्व कृषि मंत्री अजित सिंह ने एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश की कुल जमीन का एक–तिहाई हिस्सा सरकार अधिग्रहित करने जा रही है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में कुल 1.98 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से करीब 66 लाख हेक्टेयर भूमि का उपयोग कृषि के स्थान पर गैर कृषि के रूप में होगा। इस प्रकार पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेहद उर्वर भूमि का अधिकांश हिस्सा कंक्रीट के जंगल में बदल जाएगा। गेहूं और चावल के अलावा गन्ना और आलू ऐसी फसलें होंगी जिन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मोटे अनुमान के अनुसार जो 66 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि से मुक्त हो जाएगी उस पर 140 लाख टन खाद्यान्न पैदा होता। दूसरे शब्दों में, आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में भयावह खाद्यान्न संकट खड़ा हो जाएगा। इसके बीज अब बोये जा रहे है। आलू और गन्ने की पैदावार में काफी कमी आएगी, जिससे उत्तर प्रदेश की आगे की राह न केवल अंधकारमय है, बल्कि सामाजिक अशांति से भरी भी है।

पहले ही बीमारू राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर भुखमरी और कुपोषण का खतरा बढ़ जाएगा। मैं यह सोचकर ही कांप उठता हूँ कि जिस युद्धस्तर पर सरकार भूमि अधिग्रहण के प्रयासों में लगी है उसके कितने घातक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक परिणाम होंगे। इस बात का अहसास नहीं किया

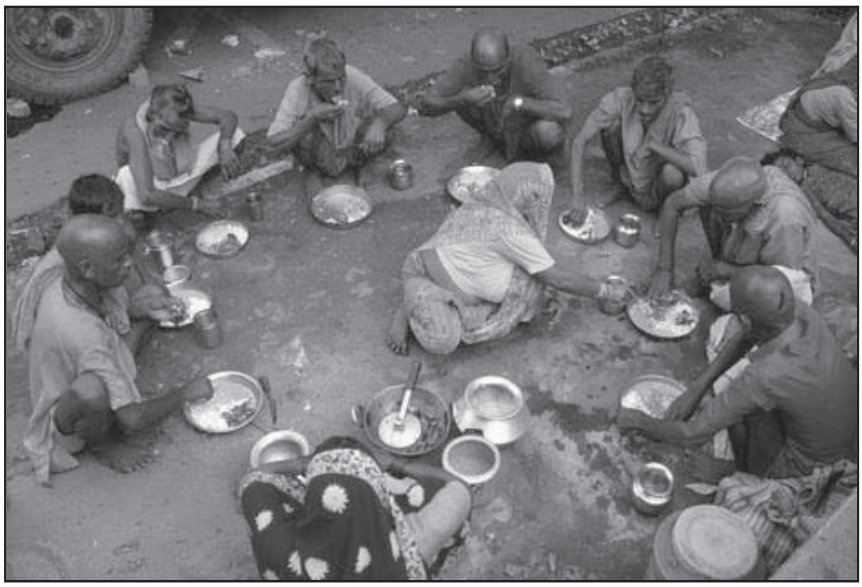

जा रहा है कि अकेले उत्तर प्रदेश के कारण ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम डगमगा जाएगा।

वर्तमान में, मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में वितरण के लिए 200 लाख टन से 240 लाख टन खाद्यान्न का भंडारण होता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार 450 से 500 लाख टन के बीच औसत खाद्यान्न भंडारण कर रही है। इतने भारी भंडार के बावजूद खाद्य और कृषि मंत्री शरद पवार ने प्रत्येक पात्र परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न

बीमारू राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर भुखमरी और कुपोषण का खतरा बढ़ जाएगा। मैं यह सोचकर ही कांप उठता हूँ कि जिस युद्धस्तर पर सरकार भूमि अधिग्रहण के प्रयासों में लगी है उसके कितने घातक आर्थिक–सामाजिक – राजनीतिक परिणाम होंगे।

उपलब्ध कराने में असमर्थता जता दी है।

जरा कल्पना करें कि जब अकेला उत्तर प्रदेश ही 140 लाख टन खाद्यान्न की अतिरिक्त मांग करेगा तो क्या होगा? नीति निर्माताओं का कहना है कि तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण लोगों की औसत आय में वृद्धि होगी और वे खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदने में समर्थ हो जाएंगे। बड़ा सवाल तो यह है कि अतिरिक्त खाद्यान्न आएगा कहां से?

पहले ही देश का खाद्यान्न कटोरा कहे जाने वाले पंजाब और हरियाणा में कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण की होड़ लगी है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब अब उद्योगों के लिए भूमि बैंक बनते जा रहे हैं। राजस्थान ने सीलिंग सीमा को ताक पर रखते हुए उद्योगों को सीधे किसानों से जमीन खरीदने की अनुमति दे दी है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2008 से खाद्य पदार्थों की उपलब्धता नाजुक बनी हुई है। 2008 के खाद्यान्न संकट में 37 देशों में खाद्य दंगे फैल गए थे। और अब तो खाद्यान्न की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। रूस ने

अगले साल की फसल तक के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे बाजार में इसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मोजांबिक में खाद्य दंगे हुए, जिनमें कम से कम सात लोग मारे गए। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान, मिस्र और सर्बिया में खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों पर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है।

यह जानते हुए कि विश्व फिर से 2008 के खाद्य संकट में फंस सकता है, जिसके कारण 37 देशों में खाद्य दंगे भड़क उठे थे, खाद्य और कृषि संगठन ने खाद्य संकट के परिणामों पर विचार करने के लिए विशेष बैठक बुलाई है। सूखाग्रस्त इलाके में वृद्धि और परिणामस्वरूप जंगल में लगने वाली आग से रूस में गेहूं की 20 फीसदी फसल बर्बाद हो गई है।

परिणामस्वरूप गेहूं के अंतरराष्ट्रीय दामों में आग लग गई है। इससे निश्चित तौर पर गेहूं के वायदा सौदे वाले मालामाल हो रहे हैं। एक वित्तीय अखबार के मुताबिक जनवरी माह से अब तक गेहूं के दाम 70 फीसदी बढ़ चुके हैं।

अगर सरकार सोचती है कि घरेलू खाद्यान्न कमी की भरपाई विदेश से करके वह खाद्यान्न संकट से बच सकती है तो वह भुलावे में है। विदेश से गेहूं खरीदना आसान नहीं रह गया है। यही मुख्य कारण है कि चीन और मध्यपूर्व के धनी देश अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में खेती के लिए जमीन खरीद रहे हैं।

15 अगस्त, 1955 को लालकिले की प्राचीर से भाषण देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी भी देश के लिए खाद्यान्न का आयात करना बहुत शर्मनाक है। इसलिए हर कोई इंतजार कर सकता है, कृषि नहीं। यह आश्चर्यजनक है कि अब मनमोहन सिंह सरकार का मानना है कि खाद्य सुरक्षा को आयात किया जा सकता है। उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहीत करना जरूरी है, क्योंकि अकेले औद्योगिक क्षेत्र के कारण उच्च विकास दर हासिल की जा सकती है। इस गलत सोच से खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। ❑

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

बहुत कुछ कहती है बाढ़

सारी दुनिया में बड़े बांधों के विरुद्ध एक आंदोलन जोर पकड़ रहा है। पहली दुनिया में वे सरकारी तौर पर नामंजूर किए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। वे फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं। यह तथ्य अब महज अनुमान नहीं रह गया है। बड़े बांधों के दिन अब लद गए हैं। उनके जलाशय बहुत बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित कर बेघर और विपन्न बना देते हैं। पारिस्थितिकी के लिहाज से भी बड़े बांध निहायत बुरे हैं। वे धरती को बंजर में बदल रहे हैं। उनकी वजह से बाढ़ आती है, दलदल बनता है, ऊसरपन पसरता है, वे बीमारियां फैलाते हैं।

■ निरंकार सिंह

बाढ़ की असली समस्या तो बड़े बांधों से बरसात में पानी छोड़ने से पैदा हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बांध निर्माता देश है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश में 3,600 बांध ऐसे हैं, जो बड़े बांधों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 3,300 का निर्माण आजादी के बाद हुआ है। करीब 695 और निर्माणाधीन हैं यानी दुनिया में बनाए जा रहे बड़े बांधों में से 40 फीसदी अकेले भारत में हैं। इसके बावजूद हमारी आबादी के पांचवें हिस्से को पीने का पानी मयस्सर नहीं है. . .

सितंबर माह में दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ ने बड़े बांधों के औचित्य पर फिर सवाल खड़ा कर दिया है। हरियाणा के कई जिलों और दिल्ली में बाढ़ का कहर इसलिए टूटा, क्योंकि हथिनीकुंड बैराज, ताजेवाला और भाखड़ा बांध से सतलुज, टांगरी और मरकंदा नदियों में भारी मात्रा में पानी को छोड़ा गया। फिर बाढ़ ने दिल्ली के भी कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। हरियाणा ने एक दिन में लगभग साढ़े सात लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़कर पिछले 60 साल का रिकार्ड तोड़ दिया। इसके कारण दिल्ली में दोबारा बाढ़ आई।

उत्तराखंड में टिहरी बांध झील का जलस्तर 830 मीटर तक पहुंच गया था जबकि यह 820 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब टिहरी बांध के ऊपर से पानी बह रहा है। जाहिर है कि ऐसे हालात में सभी बैराज और बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। इससे बाढ़ ने भयानक और विनाशकारी रूप धारण कर लिया है। नेपाल के बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने और लगातार बारिश से पूर्वी उत्तर प्रदेश में शारदा, घाघरा आदि नदियों का जलस्तर फिर बढ़ गया है। इससे लखीमपुर, बहराइच, बाराबंकी और गोंडा आदि जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। उत्तर और मध्य भारत के टिहरी, गोविंद सागर (भाखड़ा), पोंग, माताटीला, रामगंगा, तवा, बरगी, इंदिरा सागर और महानदी जैसे बांधों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इनसे पानी छोड़े जाने पर बाढ़ ने मैदानी क्षेत्रों में विकराल रूप धारण कर लिया।

वास्तव में हम आजादी के छह दशक के बाद भी बांधों के निर्माण की कोई

सुविचारित नीति नहीं बना सके हैं। इसका नतीजा अब भयावह बाढ़ के रूप में हमारे सामने आ रहा है, जिससे जन और धन दोनों की भारी क्षति हो रही है। बांधों का समुचित रखरखाव नहीं होने के कारण भी बाढ़ की समस्या गहराई है। इसके कारण इनकी भी जल संग्रहण क्षमता घटती गई है।

गरमी के मौसम में जब इनसे पानी मिलने की आस लगाई जाती है, इनके जलाशय सूखे रहते हैं या उनमें लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम पानी होता है। पर बरसात के कुछ दिनों बाद ही इनसे पानी छोड़ने की नौबत आ जाती है। यह स्थिति कई बार समय से बांधों और तटबंधों की मरम्मत न होने के कारण भी आती है, जो जल प्रबंध से जुड़ी लापरवाहियों की ओर ही इशारा करती है। जो हाल बांधों का है, वही हाल नदियों का भी है। जहां तक नदियों में जलस्तर बढ़ने की बात है तो यह बरसात के मौसम में स्वाभाविक है। पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आई बाढ़ के पीछे कुदरती वजह कम, हमारी व्यवस्था की खामियां अधिक है।

दिल्ली में अड़तालीस किलोमीटर के दायरे में फैली यमुना में अरसे से गाद जमा होती रही है, जिसके कारण उसकी जल संग्रहण क्षमता लगातार कम होती गई है। इसका नतीजा यह है कि जहां साल के अधिकांश समय यमुना बिल्कुल छिछली नजर आती है, वहीं बरसात के दिनों में यह जल्दी ही उफन जाती है। यमुना की सफाई के नाम पर हर साल करोड़ों रुपये बहा दिए जाते हैं, पर इसकी जल संग्रहण क्षमता में कोई इजाफा नहीं हो पाया है।

यही नहीं, यमुना की पांच हजार एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के चलते भी समस्या बढ़ी है। लेकिन बाढ़ की असली समस्या तो बड़े बांधों से बरसात में पानी छोड़ने से पैदा हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बांध निर्माता देश है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश में 3,600 बांध ऐसे हैं, जो बड़े बांधों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 3,300 का निर्माण आजादी के बाद हुआ है। करीब 695 और निर्माणाधीन हैं यानी दुनिया में बनाए जा रहे बड़े बांधों में से 40 फीसदी अकेले भारत में हैं। इसके बावजूद हमारी आबादी के पांचवें हिस्से को पीने का पानी मयस्सर नहीं है और दो तिहाई लोगों के पास शौचालय की बुनियादी सुविधा नहीं है।

बांधों का समुचित रखरखाव नहीं होने के कारण भी बाढ़ की समस्या गहराई है। इसके कारण इनकी भी जल संग्रहण क्षमता घटती गई है। गरमी के मौसम में जब इनसे पानी मिलने की आस लगाई जाती है, इनके जलाशय सूखे रहते हैं या उनमें लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम पानी होता है। पर बरसात के कुछ दिनों बाद ही इनसे पानी छोड़ने की नौबत आ जाती है।

सारी दुनिया में बड़े बांधों के विरुद्ध एक आंदोलन जोर पकड़ रहा है। पहली दुनिया में वे सरकारी तौर पर नामंजूर किए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। वे फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं। यह तथ्य अब महज अनुमान नहीं रह गया है। बड़े बांधों के दिन अब लद गए हैं। उनके जलाशय बहुत बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित कर बेघर और विपन्न बना देते हैं। पारिस्थितिकी के लिहाज से भी बड़े बांध निहायत बुरे हैं। वे धरती को बंजर में बदल रहे हैं। उनकी वजह से बाढ़ आती है, दलदल बनता है, ऊसरपन पसरता है, वे बीमारियां फैलाते हैं।

ऐसे प्रमाण बढ़ रहे हैं, जो बांधों को भूकंप से भी जोड़ते हैं। बड़े बांध वास्तव में आधुनिक सभ्यता के स्मारक, प्रकृति पर मनुष्य की विजय की निशानी की अपनी भूमिका पर कतई खरे नहीं उतरते हैं। स्मारकों से कालातीत होने की उम्मीद की जाती है, मगर बांधों का जीवन बेहद छोटा रहा है। वे बस उतने ही दिन तक काम लायक रहते हैं, जितना वक्त प्रकृति को उन्हें गाद से भरने में लगता है।

इन सारी वजहों से पहली दुनिया में बांध निर्माण उद्योग संकट में है और उनके पास काम नहीं है।

इसीलिए भारत जैसे विकासशील देशों में विकास सहायता के नाम पर निर्यात किया जा रहा है। पिछले साठ वर्षों में भारत ने एक लाख करोड़ रुपये सिर्फ सिंचाई के क्षेत्र में खर्च किए हैं। इसके बावजूद आज बाढ़ और अकाल से त्रस्त रहने वाले इलाकों की संख्या 1947 से कहीं ज्यादा हो गई है। सिंचाई की तबाही, बांधों से आने वाली बाढ़ों और हरित क्रांति से तेजी से हो रहे मोहभंग (कम होती उपज, खराब होती जमीन) के चिंतित करने वाले प्रमाणों के बावजूद अपने 3,600 बांध में से एक का भी परियोजना पश्चात मूल्यांकन का आदेश सरकार ने नहीं दिया, जिससे देखा जा सके कि इसने वह हासिल किया भी है या नहीं, जो इसका लक्ष्य था।

इसके विपरीत बड़े बांधों ने करोड़ों लोगों को विस्थापित कर बेघर किया और अब वे विनाशकारी बाढ़ का कारण बन गए हैं। इसलिए बाढ़ से देश को बचाना है तो बड़े बांधों की जगह छोटे–छोटे बांध बनाए जाने चाहिए। ❑

चर्चा

विश्व महाशक्ति बनने की चुनौती

ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल द्वारा बनाये गये भ्रष्टाचार सूचकांक में चीन को 79 नम्बर पर एवं भारत को 84 नम्बर पर रखा गया है. . . मेरी दृष्टि में भारत का महाशक्ति बनने का दावा गंभीर है। तकनीकी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, श्रम का मूल्य न्यून है और समाज में खुलापन है। हमारी समस्यायें भ्रष्टाचार और असमानता की है। यदि इन दो समस्याओं को हम सुलझा लेते हैं तो हमें विश्व महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा।

■ डा. भरत झुनझुनवाला

वर्तमान समय में विश्व महाशक्ति का दर्जा अमरीका को हासिल है। परन्तु अमरीकी अर्थव्यवस्था दबाव में है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमरीका का वर्चस्व घटता जायेगा। ऐसे में विश्व की महाशक्ति बनने के दो दावेदार उभर रहे हैं– चीन एवं भारत। इन तीन दावेदारों का तुलनात्मक विश्लेषण करने से संकेत मिलते हैं कि भारत की दावेदारी पुख्ता है।

वर्तमान समय में विश्व महाशक्ति का दर्जा अमरीका को हासिल है। परन्तु अमरीकी अर्थव्यवस्था दबाव में है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमरीका का वर्चस्व घटता जायेगा। ऐसे में विश्व की महाशक्ति बनने के दो दावेदार उभर रहे हैं– चीन एवं भारत। इन तीन दावेदारों का तुलनात्मक विश्लेषण करने से संकेत मिलते हैं कि भारत की दावेदारी पुख्ता है।

महाशक्ति बनने की पहली कसौटी तकनीकी अगुआयी है। अठारहवीं सदी में इंग्लैण्ड ने स्टीम इंजन से चलने वाले जहाज बनाये और विश्व के हर कोने में अपना आधिपत्य स्थापित किया। बीसवीं सदी में अमरीका ने एटम बम से जापान को और पैट्रियट मिसाइल से इराक को परास्त किया। वर्तमान में अमरीका की तकनीकी अगुआयी जारी परन्तु यह कमजोर पड़ रही है। नई तकनीकों का आविष्कार अब कम ही हो रहा है। भारत को रिसर्च का काम भारी मात्रा में आउटसोर्स हो रहा है जिसके कारण भारत का पलड़ा भारी पड़ता जा रहा है। तकनीक के मुद्दे पर चीन पीछे है। वह देश मुख्यतः दूसरों के द्वारा इजाद की गयी तकनीकों का उपयोग कर रहा है।

दूसरी कसौटी श्रम के मूल्य की है। महाशक्ति बनने के लिये श्रम का मूल्य न्यून रहना चाहिये। तब ही देश माल का सस्ता उत्पादन कर पाता है और दूसरे देशों में प्रवेश पाता है। चीन और भारत इस कसौटी पर अव्वल बैठते हैं जबकि अमरीका पिछड़ रहा है। मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग लगभग पूर्णतया अमरीका से पलायन कर चुका है। सर्विस उद्योग भी भारत को तेजी से पलायन कर रहा है। अमरीका के वर्तमान आर्थिक संकट का

मुख्य कारण अमरीका में श्रम के मूल्य का ऊंचा होना है।

तीसरी कसौटी शासन के खुलेपन की है। वह देश आगे बढ़ता है जिसके नागरिक खुले वातावरण में अपने मंतव्यों को बढ़ाने को स्वच्छन्द होते हैं। बेड़ियों में जकड़े हुये अथवा पुलिस की तीखी नजर के साये में रिसर्च, व्यापार अथवा अध्ययन कम ही पनपते हैं। भारत और अमरीका में यह खुलापन उपलब्ध है। चीन इस कसौटी पर पीछे पड़ जाता है। वहां नागरिक की उर्जा पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबाव रहता है।

चौथी कसौटी भ्रष्टाचार की है। सरकार भ्रष्ट हो तो जनता की ऊर्जा भटक जाती है। देश की पूंजी का रिसाव हो जाता है। भ्रष्ट अधिकारी और नेता धन को स्विट्जरलैण्ड भेज देते हैं। इस कसौटी पर अमरीका आगे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा बनाई गयी रैंकिंग में अमरीका को 19वें स्थान पर रखा गया है जबकि चीन को उन्यसीवीं तथा भारत को चौरासीवें स्थान पर। तथापि भारत की स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं। 2002 में भारत को 2.7 अंक मिले थे जो कि 2009 में बढ़कर 3.4 अंक हो गये हैं। तुलना में चीन की स्थिति में सुधार कम हुआ है। चीन के अंक 3.5 से बढ़कर मात्र 3.6 हुये हैं।

पांचवीं कसौटी असमानता की है। गरीब और अमीर के अंतर के बढ़ने से समाज में वैमनस्य पैदा होता है। भूमिपुत्र, अलगाववादी एवं नक्सलवादी आंदोलन पनपते हैं। गरीब की उर्जा अमीर के साथ मिलकर देश के निर्माण में लगने के स्थान पर अमीर के विरोध में लगती है। इस कसौटी पर अमरीका आगे और भारत व चीन पीछे हैं। चीन में असमानता उतनी ही व्याप्त है जितनी भारत में परन्तु वह दृष्टिगोचर नहीं होती है चूंकि पुलिस का अंकुश है। फलस्वरूप वह रोग अंदर ही अंदर बढ़ेगा जैसे कैंसर बढ़ता है। भारत की स्थिति तुलना में अच्छी है चूंकि कम से कम समस्या को प्रकट होने का अवसर उपलब्ध है।

महाशक्ति बनने की इन पांच कसौटियों का समग्र आकलन करें तो वर्तमान में अमरीका की स्थिति नं. 1 पर दिखती है। तकनीकी अगुआयी, समाज में खुलेपन, भ्रष्टाचार नियंत्रण और समानता में वह देश आगे है। परंतु तमाम समस्यायें उस देश में दस्तख दे रही हैं। रिसर्च भारत को आउटसोर्स की जा रही है। भ्रष्टाचार भी शनैः शनैः बढ़ रहा है।

2002 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 7.6 अंक दिये थे जो कि 2009 में 7.5 रह गये हैं। असमानता भी बढ़ रही है। तमाम नागरिक अपने घरों से बाहर निकाले जा चुके हैं और सड़क में कागज के डिब्बों में रहने को मजबूर हैं। आर्थिक संकट के गहराने के साथ–साथ यह समस्या और

चौथी कसौटी भ्रष्टाचार की है। सरकार भ्रष्ट हो तो जनता की ऊर्जा भटक जाती है। देश की पूंजी का रिसाव हो जाता है। भ्रष्ट अधिकारी और नेता धन को स्विट्जरलैण्ड भेज देते हैं। इस कसौटी पर अमरीका आगे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा बनाई गयी रैंकिंग में अमरीका को 19वें स्थान पर रखा गया है जबकि चीन को उन्यसीवीं तथा भारत को चौरासीवें स्थान पर। 2002 में भारत को 2.7 अंक मिले थे जो कि 2009 में बढ़कर 3.4 अंक हो गये हैं। तुलना में चीन की स्थिति में सुधार कम हुआ है।

तेजी से बढ़ेगी। तुलना में भारत की स्थिति सुधर रही है। तकनीकी रिसर्च से हम आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि नैनो कार के बनाने से संकेत मिलते हैं। भ्रष्टाचार में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। सूचना के अधिकार ने सरकारी मनमानी पर कुछ न कुछ लगाम अवश्य कसी है। परन्तु अभी बहुत आगे जाना है। असमानता भी अपने देश में कैंसर की तरह व्यपती जा रही है। गृह मंत्री चिदाम्बरम् सैन्य बल से इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु यह निश्चित रूप से असफल होगा क्योंकि मूल रोग की सरकार अनदेखी कर रही है। मूल रोग है आर्थिक नीतियां। बड़ी कम्पनियों को सरकार खुली छूट दे रही है। इनके लाभ उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं जबकि गरीब कराह रहा है। गरीब पर ढाये गये इस अत्याचार पर सरकार मनरेगा द्वारा मरहम पट्टी करने का दिखावटी प्रयास कर रही है। परन्तु इस योजना में भी भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त इस योजना में समाज की ऊर्जा निकम्मेपन एवं फर्जी कार्यों की ओर खर्च हो रही है। इस प्रकार भ्रष्टाचार एवं असमानता दोनों समस्यायें आपस में जुड़ी हुयी हैं।

चीन की स्थिति भारत और अमरीका दोनों से कमजोर दिखती है। तकनीकी अविष्कार में चीन पीछे है। चीन ने मूल रूप से अमरीकी कम्पनियों द्वारा लायी गयी तकनीकों को अंगीकार किया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चीन में बड़े कारखानों में ऑटोमेटिक मशीनों से उत्पादन कर रही हैं। वे अपने साथ आधुनिक तकनीकें लाती हैं जिन पर उनके इंजीनियरों की नजर रहती है। इन तकनीकों का सहज फैलाव चीन की तकनीकों में नहीं हो होता है। चीन के समाज में खुलेपन का अभाव है। लोकतंत्र नहीं है। प्रेस पर कम्युनिस्ट पार्टी

का शिकंजा रहता है। विश्व महाशक्ति बनने के लिये जरूरी है कि देश की सम्पूर्ण जनता मनोयोग से इस उद्देश्य की पूर्ति में लगे। जनता की सम्पूर्ण उर्जा कम्युनिस्ट पार्टी की चाबुक से नहीं प्रस्फुटित हो सकती है। चीन में भ्रष्टाचार भी व्याप्त है।

ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल द्वारा बनाये गये भ्रष्टाचार सूचकांक में चीन को 79 नम्बर पर एवं भारत को 84 नम्बर पर रखा गया है। दोनों की स्थिति में मामूली ही अन्तर है। अर्थात् चीन हमसे सुदृढ़ स्थिति में नहीं है। चीन में हमारी तरह भारी असमानता व्याप्त है। अंदरूनी क्षेत्रों से श्रमिकों का भारी संख्या में पालायन हो रहा है। ये शहरों में कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं। भारत में भी असमानता व्याप्त है नक्सलवादी आंदोलन इसके परिचायक हैं। परन्तु चीन में इस दर्द को सैन्यबल से दबा दिया जाता है। अर्थात् समाज का अंतर्मन तनाव में है। ऐसा समाज महाशक्ति नहीं बनता है। इन कारणों से चीन के महाशक्ति बनने में मुझे संदेह है।

चीन की स्थिति भारत और अमरीका दोनों से कमजोर दिखती है। तकनीकी अविष्कार में चीन पीछे है। चीन ने मूल रूप से अमरीकी कम्पनियों द्वारा लायी गयी तकनीकों को अंगीकार किया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चीन में बड़े कारखानों में ऑटोमेटिक मशीनों से उत्पादन कर रही हैं।

मेरी दृष्टि में भारत का महाशक्ति बनने का दावा गंभीर है। तकनीकी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, श्रम का मूल्य न्यून है और समाज में खुलापन है। हमारी समस्यायें भ्रष्टाचार और असमानता की है। यदि इन दो समस्याओं को हम सुलझा लेते हैं तो हमें विश्व महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ❑

चिदम्बरम द्वारा 'भगवा' आतंकवाद का हौव्वा

तुष्टीकरण की एक घिनौनी कोशिश

जब गत 1400 वर्ष के दौरान मौहम्मद गजनवी, मौहम्मद गौरी से लेकर बाबर, औरंगजेब व तैमूरलंग तथा अंग्रेज जैसे दुर्दांत इस भगवा रंग को समाप्त नहीं कर सके तो फिर केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम जैसे राजनेता की क्या बिसात है? वे तो न तो कश्मीर की बढती आतंकवादी, नक्सलवादी आतंकवाद, पूर्वोत्तर में अलगाववादी आतंकवादी समस्याओं को ही हल नहीं कर पा रहे है। इन्हीं सभी समस्याओं से आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वे ऐसे नासमझी के बयान देते रहते है. . .

■ डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

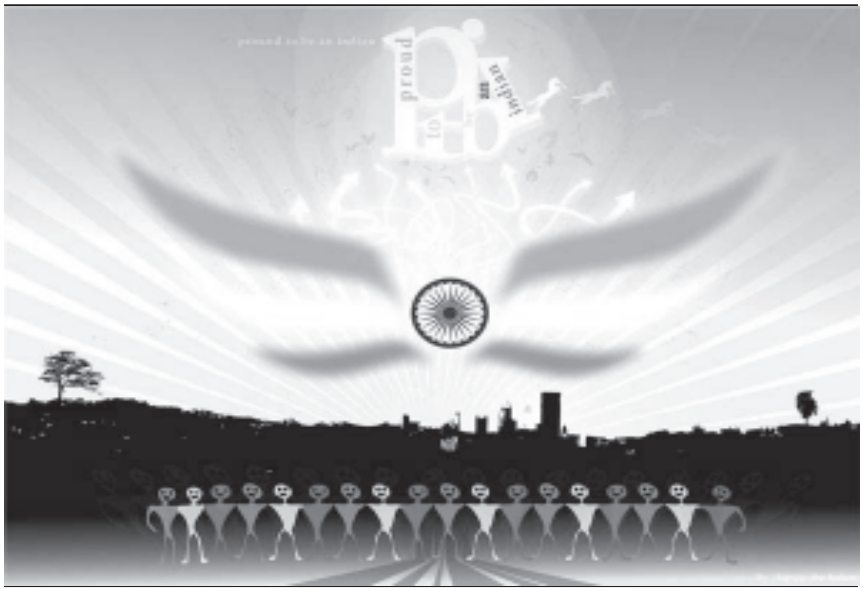

केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिंदबरम् के द्वारा भगवा आतंकवाद देश में फैलने का भय व्यक्त किया गया है। केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् को ऐसा आभास हो गया है कि 62 वर्ष के देश की स्वतंत्रता के जीवन में जिस प्रकार कांग्रेस सहित अनेक छोटे मोटे राजनीतिक दलों के राजनेताओं के द्वारा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण (विशेष कर मुस्लिम तुष्टीकरण) का पौधा सींचा गया है उससे बहुसंख्यक समाज में रोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यहीं रोष केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिंदबरम् को भगवा आतंकवाद के रूप में परिलक्षित हो रहा है।

यह तो उन्हें भी ज्ञात है कि भगवा रंग हमेशा से ही आतंकवाद का नहीं बल्कि शौर्य, राष्ट्रीयता और त्याग का प्रतीक रहा है। क्या केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् यह कह सकते है कि चूंकि भगवा रंग आतंकवाद का प्रतीत है तो इस रंग को भारत के राष्ट्रीय ध्वज से निकाल देना चाहिए। वर्ष 1947 से पहले भी जब कांग्रेस देश को आजाद कराने के लिए अन्य देशवासियों के साथ अंग्रेजों से लड़ रही थी तब भी कांग्रेस की झंडा समिति ने भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की सिफारिश की थी। भगवा रंग की पोशाक संत व साधू धारण करते है। यह रंग भारत में हमेशा से ही पूज्यनीय व शौर्य का प्रतीक रहा है। अतः आम भारतीय नागरिक भगवा रंग के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है।

यह तो उन्हें भी ज्ञात है कि भगवा रंग हमेशा से ही आतंकवाद का नहीं बल्कि शौर्य, राष्ट्रीयता और त्याग का प्रतीक रहा है। क्या केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यह कह सकते है कि चूंकि भगवा रंग आतंकवाद का प्रतीक है तो इस रंग को भारत के राष्ट्रीय ध्वज से निकाल देना चाहिए। वर्ष 1947 से पहले भी जब कांग्रेस देश को आजाद कराने के लिए अन्य देशवासियों के साथ अंग्रेजो से लड रही थी तब भी कांग्रेस की झंडा समिति ने भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की सिफारिश की थी।

वर्तमान में लगता है कि केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिंदबरम् स्वंय को देश में बहुसंख्यक अर्थात हिन्दुत्व विरोधी लॉबी के पुरोधा समझे जाने की गलत फहमी में रह रहे है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दुत्व, हिन्दू, हिन्दू संस्कृति व भगवा रंग को बदनाम कर इन सब को आतंकवाद से जोड़ने की राजनीतिक चाल चली जा रही है। क्योंकि आज सम्पूर्ण विश्व में मुस्लिम आतंकवाद सभी देशों के लिए एक जबरदस्त समस्या व खतरा बन गया है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में एक ही धर्मावलम्बी अपने ही लोगों की हत्याएं क्यों कर रहे है? भोगवादी संस्कृति हिन्दुत्व को समाप्त करने का स्वप्न देख रही है। जब गत 1400 वर्ष के दौरान मौहम्मद गजनवी, मौहम्मद गौरी से लेकर बाबर, औरंगजेब व तैमूरलंग तथा अंग्रेज जैसे दुर्दात इस भगवा रंग को समाप्त नहीं कर सके तो फिर केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम जैसे राजनेता की क्या बिसात है? वे तो न तो कश्मीर की बढती आतंकवादी, नक्सलवादी आतंकवाद, पूर्वोत्तर में अलगाववादी आतंकवादी समस्याओं को ही हल नहीं कर पा रहे है। इन्हीं सभी समस्याओं से आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वे ऐसे नासमझी के ब्यान देते रहते है।

भगवा मात्र कोई रंग नहीं है अपितु भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर है। भगवा रंग शालीनता का प्रतीत है भगवा रंग सभी राष्ट्रवादी देशवासियों व सभी समुदायों में सहर्ष स्वीकार्य है। केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने जब भगवा रंग को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया तो इससे सभी देशवासी बहुत आहत हुए। भारत के साधु व संतों ने भगवा रंग की पोशाक पहन कर ही प्राचीन समय से आज तक 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' के कल्याणकारी कार्य किये है।

केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने भगवा रंग से आतंकवाद को जोड़ कर न केवल तीन रंगों वाले ध्वज को स्वीकार करने वाले भारतीय संविधान का अपमान किया है बल्कि देश की अखंडता के लिए कृत–संकल्पित बहुसंख्यक हिन्दुत्ववादी सोच पर भी कुठाराघात किया है। केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम के इस ब्यान पर कांग्रेस ने क्यों चुप्पी साध ली? जबकि इस

भगवा मात्र कोई रंग नहीं है अपितु भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर है। भगवा रंग शालीनता का प्रतीत है भगवा रंग सभी राष्ट्रवादी देशवासियों व सभी समुदायों में सहर्ष स्वीकार्य है। केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने जब भगवा रंग को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया तो इससे सभी देशवासी बहुत आहत हुए। भारत के साधु व संतों ने भगवा रंग की पोशाक पहन कर ही प्राचीन समय से आज तक 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' के कल्याणकारी कार्य किये है।

बयान के आधार पर ही उन्हें देश के केंद्रीय गृहमंत्री के गरिमापूर्ण पद से तत्काल निलम्बित कर देना चाहिए था। इससे तो लगता है कि केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम के इस ब्यान में कांग्रेस का भी अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है। कांग्रेस नेतृत्व तुष्टीकरण की अपनी स्थापित राजनीतिक नीति के चलते व मुलायम व लालू इत्यादि जैसे तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी राजनेताओं के चंगुल से कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट वापस लाने के लालच में राजनीतिक लाभ के लिए हिन्दुत्व विरोधी रूख अपनाये हुए है।

कांग्रेस शायद यह नहीं समझती है कि देश की कुल जनसंख्या के 20 प्रतिशत मुस्लिमों के वोट प्राप्त करने के प्रयास में यदि देश के मात्र 20 प्रतिशत हिन्दू ही एक होकर कांग्रेस का विरोध कर वोट डालने लगे तो कांग्रेस कहीं की भी नहीं रहेगी। कांग्रेस को राष्ट्रीय विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि छोटे–छोटे लाभों के लिए इस प्रकार की घृणित राजनीति करने का नतीजा कांगेस देख चुकी है।

कांग्रेस की नीति के कारण ही जब वर्ष 1947 में देश हिन्दु व मुस्लिम दो धर्मों के अनुयायियों के बीच पाकिस्तान व हिन्दुस्थान के रुप में बंट चुका था। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने हिन्दु धर्म को अपमानित करने का मुख्य एजेंडा अपने राजनीतिक कार्यक्रम में बनाया हुआ है। केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम कांग्रेस के एक वरिष्ठ व प्रमुख पद पर कार्य कर रहे एक राजनेता है। ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति यदि कोई विवादित बयान देता है तो

हिन्दुत्व में यकीन करने वाले बहुसंख्यक इस बयान को हलके में तो नहीं लेंगे। कांग्रेस ने जब देशभर में केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम के इस बयान को लेकर हुई किरकिरी को मापा तो कांग्रेस की ओर से यह कह दिया गया कि केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिंदबरम् का यह उनका व्यक्तिगत नजरिया व राय हो सकता है। जब कांग्रेस केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम के बयान से सहमत नहीं है तो फिर क्यों राष्ट्रीय सम्मान पर कुठाराघात करने वाले व देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाडने वाले नेता को क्यों नहीं दोषी ठहराया गया और उनसे उनका त्यागपत्र क्यों नही लिया गया?

हो सकता है कि केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिंदबरम् ने ऐसा कह कर परदे के पीछे किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उपकृत कर रहे हों। कांग्रेस स्वयं को सबसे बड़ा धर्मानिरपेक्षवादी राष्ट्रीय दल मानती है। कांग्रेस व अन्य राजनेता हिन्दुत्व को गाहे बगाहे अपमानित करना ही असली धर्मनिरेपक्षतावादी नीति मानती है। कभी काग्रेस को मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग करके, कभी उनको भारी राजकोषीय आर्थिक सहायता प्रदान करके, कभी उनके बच्चों को शिक्षा के लिए मदरसों व इमामों को सरकारी सहायता देकर, कभी मुस्लिम बेरोजगारों को बडी संख्या में नौकरी देकर इत्यादि से तुष्टीकरण की वोटवादी राजनीति की जा रही है।

देश के प्रत्येक गरीब, पिछड़े व आर्थिक रूप से विपन्न दलित, पिछड़े व अन्य को चाहे वह किसी धर्म व जाति का क्यों न हो सबको आर्थिक सहायता व नौकरी क्यों नहीं देने की बात की जाती है? क्यों बार–बार एक विशेष शब्द

केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने भगवा रंग से आतंकवाद को जोड़ कर न केवल तीन रंगों वाले ध्वज को स्वीकार करने वाले भारतीय संविधान का अपमान किया है बल्कि देश की अखंडता के लिए कृत–संकल्पित बहुसंख्यक हिन्दुत्ववादी सोच पर भी कुठाराघात किया है।

(मुस्लिम) का ही प्रयोग कोई योजना लागू करते समय किया जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिंदबरम् ने यदि भगवा आतंकवाद की जगह हरा आतंकवाद (मुस्लिम) अथवा सफेद आतंकवाद (ईसाई) शब्दों का प्रयोग किया होता तो कांग्रेस अब तक केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिंदबरम् को पार्टी से निकाल चुकी होती तथा देश के प्रधानमंत्री देश से सार्वजनिक क्षमा याचना कर चुके होते।

आतंकवाद का किसी धर्म, जाति व सम्प्रदाय से कोई संबंध नहीं होता है। अतः जब भी आतंकवाद को किसी धर्म व जाति व संप्रदाय से जोड कर देखा जायेगा तो उसका विरोध भी होना स्वाभाविक है। आतंकवादी सम्पूर्ण समाज व देश का अपराधी होता है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए न की सारे सरकारी प्रयास यह सिद्ध करने में ही लगा दिये जायें कि देश का बहुसंख्यक समुदाय (भगवा रंग समर्थक) आतंकवादी है, वो भी मात्र उनके सहारे जो चंद भगवाधारी पोशाक के लोग पकड़े गये है और उन्हें भी न्यायालय की कड़ी प्रक्रिया से निर्दोष साबित किया चुका है।

कांग्रेस केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम के बयान से सहमत नहीं है तो फिर क्यों राष्ट्रीय सम्मान पर कुठाराघात करने वाले व देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाले नेता को क्यों नहीं दोषी ठहराया गया और उनसे उनका त्यागपत्र क्यों नही लिया गया?

जब देश का बहुसंख्याक समुदाय आतंकवादी हो जायेगा तो फिर देश में अन्य आतंकवाद तो स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। कांग्रेस के केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिंदबरम् ने हो सकता है कि देशवासियों और विशेषकर अल्पसंख्यकों के सामने भारतीय जनता पार्टी का हव्वा खड़ा करने की कोशिश की हो। उनका बयान यह भी हो सकता था कि यदि आतंकवाद शीघ्र ही काबू में नहीं आया तो देश का हिन्दू भी आतंकवाद की राह पर चल पड़ने को बाध्य हो जायेगा जो एक गंभीर चिन्ता का विषय होगा। आंतकवाद एक ऐसी दूषित मानसिकता है जो सबसे पहले उसी समाज को नुकसान पहुंचाता है जिस समाज से वह निकल कर बाहर आता है। इसलिए आतंकवादी मनोवृत्ति का विरोध सबसे पहले उसी समाज के लोगों को कराना चाहिए।

प्रत्येक धर्म व उसमें सच्ची आस्था रखने वाले लोग सम्मानीय व गुणी होते है। प्रत्येक धर्म अमन व शांति चाहता है। कोई धर्म आतंकवाद का पोषक नहीं होता है। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। इसलिए सभी धर्म के लोगों व सभी राजनेताओं को आंतकवादी घटनाओं की निंदा करके आंतकवादियों को गंभीर अपराधी मानते हुए उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए तभी विकराल होती आतंकवादी व पृथकतावादी घटनाओं को रोका जा सकता है और भारत देश की अंखडता को बनाये रखे जा सकता है।❑

बलिदान व पवित्रता का प्रतीक भगवा

दशम पातशाह गुरू गोविन्द सिंह द्वारा भगवे वस्त्र को ही दस्तार बनाकर सजाया गया और इसी रंग के निशान साहिब का ध्वज बनाकर सिख धर्म की मर्यादा व आस्था का प्रतीक बनाया। यही कारण है कि आज भी केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी सभी मंदिरों व गुरुद्धारों में भगवा वस्त्र के ही सिरोपे भेंट करके एक दूसरे को सम्मानित करने व देवताओं व गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रथा को ही सर्वोच्च माना गया है।

■ दीवान अमित अरोड़ा

भारतीय इतिहास का यह काला दिन जब केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने 'भगवा आतंक' का उल्लेख करते हुए भारतीय आस्था का प्रतीक भगवे रंग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कितना दुर्भाग्यजनक है कि वर्तमान दौर में कांग्रेस के कर्णधार नेताओं तक यह नहीं जानते है। कि भारतीय इतिहास में रामायण, महाभारत, महाराजा विक्रमादित्य तथा मुगलकाल से लेकर स्वाधीनता संग्राम तक तथा अधिकतम रियासतों द्वारा इस भगवे रंग को ही महत्व दिया गया है। भगवा रंग जिसे देवी देवताओं का परिधान, ऋषि–मुनियों का अंगवस्त्र तथा तपस्या व बलिदान का प्रतीक व पवित्र माना गया है, इसी रंग के आगे बड़े से बड़ा शासक भी नतमस्तक होता आया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी शिवाजी मराठा, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी व अन्य वीर योद्धाओं ने इसी पवित्र भगवे ध्वज के नेतृत्व में ही सभी लड़ाईया लड़ी।

दशम पातशाह गुरू गोविन्द सिंह द्वारा भगवे वस्त्र को ही दस्तार बनाकर सजाया गया और इसी रंग के निशान साहिब का ध्वज बनाकर सिख धर्म की मर्यादा व आस्था का प्रतीक बनाया। यही कारण है कि आज भी केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी सभी मंदिरों व गुरुद्धारों में भगवा वस्त्र के ही सिरोपे भेंट करके एक दूसरे को सम्मानित करने व देवताओं व गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रथा को ही सर्वोच्च माना गया है।

केंद्र की कांग्रेस नीत सरकार के गृहमंत्री व कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व शायद अपने भारतीय इतिहास व कांग्रेस के 125 वर्ष के इतिहास व विचारधारा को ही भुला बैठे हैं कि जब वर्ष 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् भी आजादी की लड़ाई हेतु लोग संगठित नहीं हुए तो वर्ष 1893 में कांग्रेस के ही बड़े नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस भगवे ध्वज के नेतृत्व में ही महाराष्ट्र के सभी गांवों, कस्बों व शहरों में युवकों की टोलियां बनाकर गणपति उत्सव के त्योहार मनाने का सिलसिला प्रारंभ किया। उस समय यही नौजवान युवकों ने ही गणपति उत्सव के माध्यम से ही संगठित होकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया।

महाराष्ट्र में आज भी प्रत्येक गांव, कस्बों व जिलों में आज भी नवयुवक माथे पर भगवे रंग की पट्टियां पहनकर भगवे वस्त्र पहन कर गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस त्योहार को मनाते है और यह त्योहार अब देश के अन्य हिस्सों में भी श्रद्धापूर्वक मनाया जाने लगा है।

भारतीय जीवन में भगवे रंग की पवत्रिता का इतना महत्व है कि जिसे पहनकर स्वामी विवेकानंद विदेशों में प्रचार करते थे तो पूरा विश्व भारतीय संस्कृति की गहराई व अध्यात्मकता के प्रति नतमस्तक हो जाता था। इसी चोले को पहनकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी भारतीय संस्कृति का लोहा मनवाया और भारत के एक मात्र स्वयंसेवी संगठन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसी पवित्र भगवे रंग के ध्वज को गुरु मानकर हिंन्दू संस्कृति की आस्था का प्रतीक बनाया।

पुरातनकाल से यही भगवा रंग हमारे ऋषि–मुनियों, महात्माओं व धर्माचायों की तपस्या व त्याग की पहचान बनता आया है। इसीलिए भगवे रंग के वस्त्र पहने हुए किसी भी व्यक्ति को भारतीय संस्कृति में उच्च सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है और यही सम्मानजनक दृष्टि आजादी से पूर्व आजादी के पश्चात् दिवंगत कांग्रेसी नेताओं की भी रही है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने इस भगवे रंग से संबंधित प्रत्येक वस्तु की गरिमा को बनाए रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो एक बार अल्पसंख्यक समुदाय को नसीहत देते हुए भी यह कहा था कि अगर इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज से अगर सौहार्द बनाए रखना है तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं व आस्थाओं का सम्मान करना होगा लेकिन वर्तान दौर में कांग्रेसी नेताओं की संकीर्ण बुद्धि का इतना दीवालियापन निकल चुकका है कि वे दिन–रात भारतीय आस्थाओं व हिन्दू मान्यताओं पर प्रहार करने पर लगे हुए है। आज का यह कांग्रेसी नेतृत्व राम जन्मभूमि को राम मंदिर कहने की बजाए बाबरी मस्जिद व विवादास्पद ढांचा कहने को गर्व महसूस करता है। इसी कांग्रेसी नीत सरकार के एक मंत्रालय द्वारा राम सेतु मुद्दे पर न्यायल में शपथ पत्र दायर किया जाता है कि 'श्रीराम' का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अपने ही देश में जम्मू–कश्मीर राज्य में अमरनाथ भूमि हेतु आंदोलन करना पड़ता है।

भारतीय संस्कृति व बहुसंख्यक हिन्दू समाज में इतनी गहराई है कि भले ही आतंकवादी गतिविधियों में मुस्लिम संगठनों के नाम सामने आए हो लेकिन भारतीय समाज द्वारा कभी भी 'मुस्लिम आतंकवाद' का नाम नहीं दिया गया। पंजाब के आतंकवाद के दौर में कभी भी ''सिख आतंकवाद'' कहकर नहीं पुकारा गया अर्थात् किसी भी देश विरोधी गतिविधियों को धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया।

कांग्रेस सरकार के गृहमंत्री चिदम्बरम् कौन से चश्मे से देखते हुए यह भूल जाते हैं कि इस देश में पूजा पद्धति के समय हिन्दू बहुसंख्यक समाज जब तिलक लगाकर अभिनंदन करता है तो उस तिलक का रंग भी भगवा ही होता है। किसी समारोह में एक–दूसरे का स्वागत करने हेतु तथा पूजा के समय फूलों की माला अथवा पुष्प वर्षा का भी प्रयोग होता है तो उन फूलों का रंग भी भगवा ही होता है। यानि कि धर्म हो अथवा पूजा, पहरावा हो अथवा किसी ध्वज का प्रतीक, सम्मान हो अथवा आदर का भाव तथा प्रसाद के प्रयोग होने वाला लड्डू, प्रत्येक कार्य में भगवे रंग को ही पवित्र माना गया है। इसीलिए तो अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने भी ''रंग दे बंसती चोला'' का गुणगान करके भगवे रंग की पवित्रता व महत्व को ही दर्शाया है।

गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् ने भले ही ''भगवा आतंक' कहकर किसी विशेष समुदाय को खुश करने की बात उनके दिमाग में आई हो, लेकिन चिदाम्बरम् को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता की जड़े इतनी गहरी है कि आज भी कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय, हिन्दू समुदाय के साथ इक्कठे मिलाकर त्योहार मनाता है और इन त्योहरों में भगवे रंग के सिरोपे पहनाकर, पगड़ीया पहनाकर एक–दूसरे को सम्मानित किया जाता है। यानि कि मुस्लिम समुदाय भी भगवे रंग को सम्मानजनक दृष्टि से ही पवित्र मानता है जोकि आपसी सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि उत्तर भारत में सबसे बड़ा मनाया जाने वाला त्योहार जालंधर स्थित

1984 के दिल्ली दंगों को भी 'कांग्रेसी आतंकवाद' का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि भारतीय समाज अच्छी तरह से जानता है कि बुराई किसी धर्म में नहीं होती और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि सभी धर्म शांति का ही उपदेश देते हैं। इस देश की संस्कृति बची हुई है तो इन चिदम्बरम जैसे नेताओं के कारण नहीं बल्कि भगवे रंग का प्रतीक, आपसी प्यार, तपस्या व भाईचारे की बदौलत ही बची हुई है क्योंकि भारत में सभी धर्म एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं।

श्रीराम नवमी उत्सव में पंजाब व उत्तर भारत से कोने–कोने से मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होते है और राम नाम लिखित भगवे वस्त्र को सिरोपे के रूप में पहनकर इसकी पवित्रता का सम्मान करते हुए अपने आपको धन्य समझते हैं।

भगवे रंग का विश्वास जो ऋषियों–मुनियों के इस देश में बना हुआ है वह किसी भी चिदम्बरम् जैसे व्यक्ति के बेतुके बयान से डगमगा नहीं सकता। चिदम्बरम् के इस बयान से तो उसकी छवि पहले से ही कहीं अधिक धूमिल हुई है और विकृत मानसिकता ही उजागर हुई है। कांग्रेस के आला नेताओं में अगर अभी भी कोई जमीर बाकी बचा है तो तुरंत गृहमंत्री चिदम्बरम् को भगवे का अपमान करने के मामले में मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए।

चिदम्बरम् व उसके आका नेताओं को यह समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति व बहुसंख्यक हिन्दू समाज में इतनी गहराई है कि भले ही आतंकवादी गतिविधियों में मुस्लिम संगठनों के नाम सामने आए हो लेकिन भारतीय समाज द्वारा कभी भी 'मुस्लिम आतंकवाद' का नाम नहीं दिया गया। पंजाब के आतंकवाद के दौर में कभी भी ''सिख आतंकवाद'' कहकर नहीं पुकारा गया अर्थात् किसी भी देश विरोधी गतिविधियों को धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया। यहां तक कि 1984 के दिल्ली दंगों को भी 'कांग्रेसी आतंकवाद' का नाम नहीं दिया गया क्योंकि भारतीय समाज अच्छी तरह से जानता है कि बुराई किसी धर्म में नहीं होती और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि सभी धर्म शांति का ही उपदेश देते हैं।

आज भी कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय, हिन्दू समुदाय के साथ इक्कठे मिलाकर त्योहार मनाता है और इन त्योहरों में भगवे रंग के सिरोपे पहनाकर, पगड़ीया पहनाकर एक–दूसरे को सम्मानित किया जाता है। यानि कि मुस्लिम समुदाय भी भगवे रंग को सम्मानजनक दृष्टि से ही पवित्र मानता है जोकि आपसी सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है।

इस देश की संस्कृति बची हुई है तो इन चिदाम्बरम् जैसे नेताओं के कारण नहीं बल्कि भगवे रंग का प्रतीक, आपसी प्यार, तपस्या व भाईचारे की बदौलत ही बची हुई है क्योंकि भारत में सभी धर्म एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं। सभी रंगों का सम्मान करते है। इसीलिए आज देश में सभी लोग भगवे, सफेद और हरे रंग से सुसजित तिरंगे को फहरा कर गर्व महसूस करते हैं। आज राष्ट्रीय तिरंगे में भगवे रंग को इसीलिए ऊपर रखा गया है क्योंकि यह भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है न कि आतंकवाद का। सही मायने में देखा जाए तो गृहमंत्री चिदम्बरम् ने 'भगवा आतंक' कहकर राष्ट्रीय तिरंगे का ही अपमान नहीं किया बल्कि हमारे राष्ट्रीय संतों, महापुरुषों, महात्माओं व पुजारी ब्राह्मण समाज का ही अपमान किया है। हमारी श्रद्धा व आस्था के केंद्र, धर्मस्थलों का अपमान किया है। हमारे दैनिक जीवन की आस्था पर कड़ा प्रहार किया है। यह राष्ट्र कभी उन्हें क्षमा नहीं करेगा। ❑

धरती को बचाना है तो नालों को नदियां बनाना होगा

हम जिससे लेते थे, उसे ही सम्मान जनक भाव से वापस लौटाने का सेवा भाव रखते थे। इसी कारण भारत जगद्‌गुरु बना था। लेकिन आज की सभ्यता ने भारत की नदियों को नाले में बदलकर इसे पछाड़ दिया है। अभी तो नदियां नाला बन रही है। लेकिन इनसे भूजल–अधोभूजल भण्डार प्रदूषित होने से हमारी सेहत पर खर्च बढ़ने लगा है. . .नदियों के प्रदूषण का रिश्ता उद्योगों तथा सरकारी पालिकाओं से है। इसलिए कोई भी शोध उन पर चोट करने वाली नहीं हो रही है। उनके विरूद्ध कोई बोलना नहीं चाहता है। इसलिए ही नदियों के साथ और हमारे समाज के साथ अन्याय चल रहा है।

■ राजेन्द्र सिंह

आज हमें समृद्ध बनने की चाह है। तो नदियों को नदियां बनाए। नाले नहीं बनने दें। हमारे युवाओं को अपने भविष्य की समृद्धि चाहिए तो नदियों के साथ अपना और अपनी नदी का भविष्य जोड़कर देखना ही पड़ेगा। नदियों को नाले बनाते हुए इक्कसवीं सदी का पहला दशक पूरा हुआ है।

अब दूसरे दशक में प्रवेश करने वाले युवाओं को स्वयं तय करना है। इस सदी का दूसरा दशक नालों को नदियां बनाने का दशक बनाएं। 20वीं सदी का अंतिम और इक्कसवीं सदी के पहले दषक में ही हमने अपनी नदियों को नाला बनाया था। अब दूसरा दषक नदियों को नाला नहीं। नालों को नदी बनाना है।

सबे भूमि गोपाल की मानने वाला भारतीय समाज नदियों को भी सबकी साझी मां मानता था। ये आज भी सबकी साझी ही है। भूमि तो साझी और गोपाल की नहीं रही है। लेकिन नदियां तो आज भी सबकी साझी ही है। पहले पोषण करती थी। अब इनका प्रदूषण–शोषण व अतिक्रमण करके बीमार बनाने वाली बना दिया है।

इन पर पिछले 10 वर्षों में अतिक्रमण एवं रिवर व्यू–रिवर फ्रंटव्यू डवलपमेंट के नाम पर सरकारों ने नदी भूमि का उपयोग बदलना जरूर शुरू कर दिया है। दिल्ली में यमुना का विनाश तो हम कुछ सीमा तक रूकवा सके है। आज भी उच्चतम न्यायालय में लड़ाई जारी है।

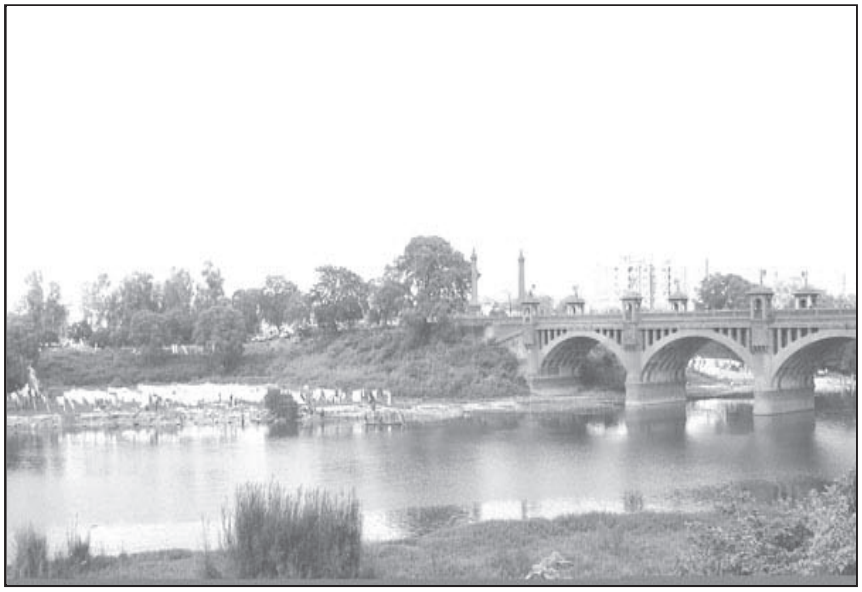

चैन्नई की 'अड़ियार', कूदमवाकम की 'कूवम', बैंगलूर की 'अरकावती', पूना की 'मूला–मोथा', मुंबई की 'मिठी', जयपुर की 'द्रव्यावती' (अब अमानी शाह नाला), हैदराबाद की 'मूसी', लखनऊ की 'गोमती', कानपुर की 'गंगा', कोलकाता की 'हुवली–पदमा' और किस शहर का नाम लूँ, पूरे राष्ट्र में शहर वे ही है, जिन्होंने अपनी पवित्र नदियों को नाले में बदला है।

चैन्नई की 'अड़ियार', कूदमवाकम की 'कूवम', बैंगलूर की 'अरकावती', पूना की 'मूला–मोथा', मुंबई की 'मिठी', जयपुर की 'द्रव्यावती' (अब अमानी शाह नाला), हैदराबाद की 'मूसी', लखनऊ की 'गोमती', कानपुर की 'गंगा', कोलकाता की 'हुवली–पदमा' और किस शहर का नाम लूँ, पूरे राष्ट्र में शहर वे ही है, जिन्होंने अपनी पवित्र नदियों को नाले में बदला है। अर्थात् आज की हमारी सभ्यता यही है, जो नदियों के किनारे बस कर उन्हें नाले में तब्दील करती है।

भारत का प्रत्येक जन वह हिन्दू हो

या मुस्लिम, सिख हो या इसाई लेकिन पवित्र गंगा नदी को तथा सभी नदियों को भारत में रहकर मां कहने से तनिक भी नहीं हिचकता है। वह तो इन्हें मां मानकर अपना पोषक ही मानता है। अर्थात् नदियों को माँ कहना सभ्यता नहीं है – यह भारतीय संस्कृति की देन है।

पोषक माँ होती है। ये अब पोषक से शोषक बनी है। पहले हमने इनका शोषण करके इन्हें मैला ढोने वाली मालगाड़ी बनाया। अब ये हमें बीमार बनाकर हमारा शोषण चिकित्सकों से करवा रही है। हमारी संस्कृति पोषक है। सभ्यता शोषक है।

हम जिससे लेते थे, उसे ही सम्मान जनक भाव से वापस लौटाने का सेवा भाव रखते थे। इसी कारण भारत जगद्गुरु बना था। लेकिन आज की सभ्यता ने भारत की नदियों को नाले में बदलकर इसे पछाड़ दिया है। अभी तो नदियां नाला बन रही है। लेकिन इनसे भूजल–अधोभूजल भण्डार प्रदूषित होने से हमारी सेहत पर खर्च बढ़ने लगा है।

हमारा अर्थ तंत्र भी नदियों के प्रदूषण से गड़बडाने लगा है। बहुत सी बीमारी नदियों के प्रदूषण संख्या (आरसेनिक), तेजाबी (क्रोमियम) नाईट्रेट आदि के बढ़ने से बहुत ही भयानक नये रोग के रूप में सामने आ रहे है। डेंगू जैसी जितनी भी नई बीमारी आ रही है। इनका नदियों के प्रदूषण से गहरा संबंध है। इस दिशा में कोई विचार इसलिए नहीं करता है। क्योंकि नदियों के प्रदूषण का रिश्ता उद्योगों तथा सरकारी पालिकाओं से है। इसलिए कोई भी शोध उन पर चोट करने वाली नहीं हो रही है। उनके विरूद्ध कोई बोलना नहीं चाहता है। इसलिए ही नदियों के साथ और हमारे समाज के साथ अन्याय चल रहा है।

नदियों में प्रदूषण के अन्याय का असर अब आंखों से दिखने लगा है। लोगों को समझ में आने लगा है। मछुआरों को मछलियां नहीं मिलती। नाविक की नाव प्रदूषित जल में नही चलती है। किसानों की जमीन बिगड़ रही है। लूणी नदी में दस हजार हैक्टेयर भूमि बिगड़ गई है। ऐसी ही सभी नदियों में हो रहा है। नदियों में अतिक्रमण–प्रदूषण के साथ शोषण भी बिना विचार किये ही हुआ है। किस नदी में कहां से कितना जल प्रवाहित होवे? कितना नहीं होवें? हम नदियों की पारिस्थितिकी को सम्मान नहीं करते है।

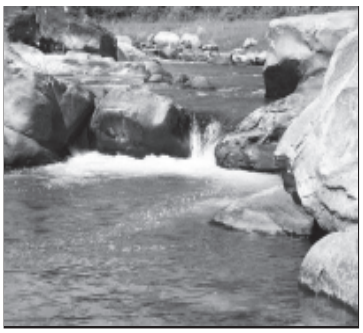

भारत का प्रत्येक जन वह हिन्दू हो या मुस्लिम, सिख हो या इसाई लेकिन पवित्र गंगा नदी को तथा सभी नदियों को भारत में रहकर मां कहने से तनिक भी नहीं हिचकता है। वह तो इन्हें मां मानकर अपना पोषक ही मानता है। अर्थात् नदियों को माँ कहना सभ्यता नहीं है – यह भारतीय संस्कृति की देन है।

नदियों की अपनी जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी होती है। इसको समझे बिना ही जब हम अपने लालच के वशीभूत होकर अपना ही केवल अपना लाभ कमाने का विचार करते है। तभी नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह बिगड़ जाते है। इसी के कारण बाढ़–सुखाड़ आने लगती है। इसी से नदियां सूखती–मरती है।

आज भारत की दो तिहाई नदियां सूख गई या मर गई है। ऐसी सैकड़ों छोटी नदियां मैंने स्वयं देखी है। जो शुद्ध–सदानीरा थी – आज बेपानी है। संई नदी तो बड़ी नदी है। वही तीन वर्ष पूर्व पहली बार सूख गई थी।

पचास वर्ष पूर्व अरवरी नदी सूखी थी। यह तो छोटी नदी है, राजस्थान की है। लेकिन राजस्थान की कांटली बड़ी नदी थी। सदानीरा थी। लेकिन इसे भारत सरकार की कापर प्रोजेक्ट ने सुखाया है। इस प्रकार सैंकड़ों सूखती नदियों के सवाल आज मेरे मनमानस को दुःखी और विचलित कर रहे है। सवालों से संवाद होता है। समाधान भी निकलता है। लेकिन हम इनके समाधान ढूंढने हेतु व संकल्पित होवें तभी तो समाधान के रास्ते तय होते है।

नदियों के मरने–जीने के साथ भारतीय समाज का भी मरना–जीना जुड़ा है। इस पर अब हमें विचार करना ही होगा। सेहत में बिगाड़–धन का खर्च–जीवन में लाचारी, बेकारी, बीमारी बढ़ जाती है। आर्थिक दिवालियां इलाज से खर्च से कोई भी राष्ट्र बन जाता है। अभी तो हम आर्थिक उन्नति पर दिखते है। लेकिन अंत में प्राप्ति से ज्यादा खर्च बढ़ता है। वह किसी भी राष्ट्र को कंगाल बना देता है।

भारत में नदियों की भूमि का उपयोग नदियों के लिए ही होवे। भारतीय ज्ञानतंत्र से निर्मित तालाब–जोहड़ जैसे जल संरचनाओं को भी उनके मूल रूप में बचाकर रखना होगा। ये तालाब–जोहड़ एवं खादर (फ्लैड प्लेन) नदियों के लिए स्पंज की भूमिका निभाती है। इस तरह की जल संरचनाओं को सुरक्षित रखने की नीति हमारे देश की जरूरत है। नदियां तो नदियों की भूमि सुरक्षा से ही बचती है।❑

उपेक्षित है हिन्दी साहित्यकारों के स्मारक

लोग आधुनिक जीवन शैली अपनाने के चक्कर में अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी को अनपढ़ों की भाषा मानते हैं? और सरकार भी हिन्दी साहित्यकारों की स्मारकों का कोई देखभाल नहीं करती। जिन साहित्यकारों ने भारत की आजादी में काफी योगदान दिया और भारत की संस्कृति एवं भारत की आत्मकथा को भारतवासियों के घर–घर में पहुंचाया था, आज उन्हीं साहित्यकारों के स्मारक खंडहरों में तब्दील हो रहे हैं। आखिर कब मिलेगा हमारे हिन्दी साहित्यकारों के स्मारक को अपनी पहचान. . .।

■ उमेश प्रसाद सिंह

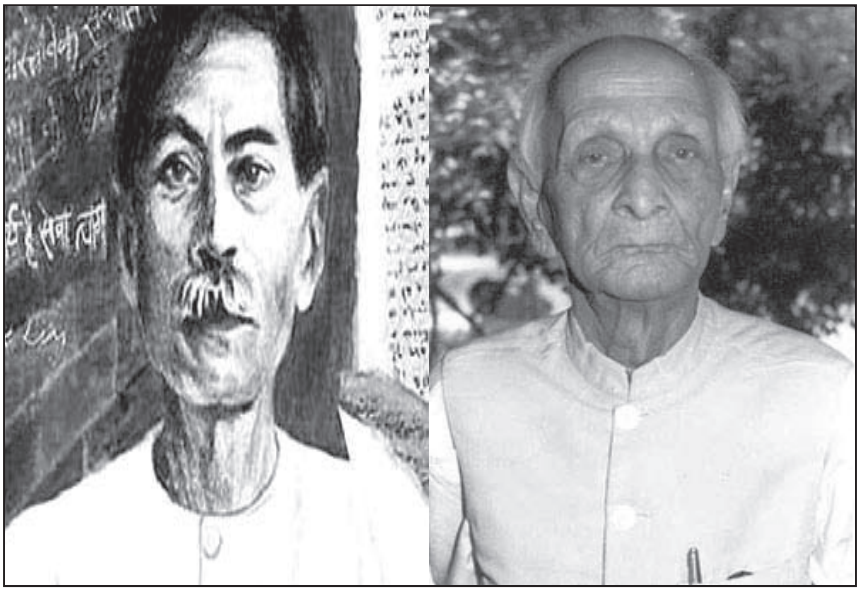

हिन्दी के अनेक साहित्यकारों की जन्म शताब्दी सन 2011 में मनाने की तैयारी चल रही है, इनमें गोपाल सिंह नेपाली, शमशेर बहादुर सिंह, अक्षेय, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि प्रमुख हैं। जन्मशताब्दी के बहाने हमें उन साहित्यकारों को समझने और साहित्य की चर्चा करने का मौका मिल जाता है। देखा जाए तो हम साहित्यकारों की जन्म शताब्दी सिर्फ रस्म अदायगी के रूप में मनाते हैं। अपने देश में किसी भी साहित्यकार की एक स्थायी स्मारक नहीं बना पाए हैं। हम प्रेमचन्द्र, रामचन्द्र शुक्ल, निराला जैसे महान साहित्यकारों का कोई स्थायी स्मारक नहीं बना पाए तो अन्य साहित्यकारों के लिए क्या करेंगे। हिन्दी के महान साहित्यकारों में रामचन्द्र शुक्ल का नाम अमर है।

हिन्दी के अनेक साहित्यकारों की जन्म शताब्दी सन 2011 में मनाने की तैयारी चल रही है, इनमें गोपाल सिंह नेपाली, शमशेर बहादुर सिंह, अक्षेय, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि प्रमुख हैं। जन्मशताब्दी के बहाने हमें उन साहित्यकारों को समझने और साहित्य की चर्चा करने का मौका मिल जाता है। देखा जाए तो हम साहित्यकारों की जन्म शताब्दी सिर्फ रस्म अदायगी के रूप में मनाते हैं। अपने देश में किसी भी साहित्यकार की एक स्थायी स्मारक नहीं बना पाए हैं।

एक बार मुझे उनके गांव अगौना (बस्ती जिला उत्तर प्रदेश) में जाने का मौका मिला था। बस्ती स्टेशन पर रामचन्द्र शुक्ल की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। वहां से उनका गांव लगभग 20 किलोमीटर है। वहां जाने पर पता चला कि गांव में उनका कोई स्मारक नहीं है। रामचन्द्र शुक्ल का जन्म 4 अक्तूबर 1884 को इसी अगौना गांव में हुआ था। 1980 में गांव के प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर 'शुक्ला समिति न्यास' बनाया। शुक्ल जी की जन्म शताब्दी पर गांव में उनके टूटे–फूटे मकान के स्थान पर एक दालान बनाकर उसमें एक पुस्तकालय की स्थापना और सामने उनकी एक आदम कद की प्रतिमा लगाने का निश्चय हुआ। परन्तु आर्थिक कठिनाई और सरकार द्वारा उपेक्षा के कारण कार्य अधूरा रह गया। उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर वहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अनेक राजनीतिक और साहित्यिक हस्तियां एकत्र हुई। अगले ही वर्ष गांव के एक व्यक्ति ने प्रतिमा स्थल के सामने ग्राम पंचायत की खाली

जमीन पर अपना मकान बना लिया। शुक्ल जी की आधी अधूरी प्रतिमा मकान के पीछे आज भी खड़ी है। अगौना जाकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यही गांव हिन्दी के पुरोधा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की जन्म स्थली है।

उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द्र का गांव लमही (वाराणसी) तो उपेक्षा के कारण आज भी सिसक रहा है। प्रेमचन्द्र के घर की दुर्दशा देखकर कोई भी भावुक मन रो उठेगा। यही वह पावन स्थल है जहां होरी और धनिया की कथा लिखी गई। यह वी तीर्थ स्थल है जहां बैठकर कलम के सिपाही ने सैकड़ों कहानियां लिखीं। जब तक उनकी पत्नी शिवरानी देवी जीवित थी इस मकान का उचित रख–रखाव होता था परन्तु उनके निधन के बाद उनके परिवार और समाज वालों ने यहां से मुंह मोड़ लिया। प्रेमचन्द्र को अपने गांव से इतना प्रेम था कि उनका प्रैस बनारस में था परन्तु वे रहते लमही में थे। वे लमही से प्रति–दिन तांगा पर चढ़कर बनारस जाते थे।

1972 में प्रेमचन्द्र के घर के साथ उनकी एक प्रतिमा काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने लगाई थी। प्रतिमा के चारों ओर कम ऊंचाई की चार दीवारी बनायी गई थी। इसके अन्दर घास और कुछ पेड़ पौधे लगाए गए थे। यहां एक हैंड पम्प था। अब देखभाल के अभाव में यहां सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। प्रतिमा का कमजोर निर्माण हुआ इसलिए यह प्रतिमा धूप, बरसात झेलकर इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि लगता ही नहीं की यह उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र की प्रतिमा है। पार्क में दिनभर बच्चे तरह–तरह के खेल खेलते हैं। रात में चहां मादक पदार्थ सेवन करने वाले एकत्र हो जाते हैं। गांव

1972 में प्रेमचन्द्र के घर के साथ उनकी एक प्रतिमा काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने लगाई थी। प्रतिमा के चारों ओर कम ऊंचाई की चार दीवारी बनायी गई थी। इसके अन्दर घास और कुछ पेड़ पौधे लगाए गए थे। यहां एक हैंड पम्प था। अब देखभाल के अभाव में यहां सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। प्रतिमा का कमजोर निर्माण हुआ इसलिए यह प्रतिमा धूप, बरसात झेलकर इस स्थिति में पहुंच चुकी है. . .

के आवारा कुत्तों और बकरियों का यहां आवास बन चुका है। वर्षों से हैंडपम्प खराब पड़ा है। सरकारी या सामाजिक स्तर पर कुछ देखभाल नहीं है। हालांकि यहां के अधिकांश पार्कों में सरकार की ओर से अंबेडकर की प्रतिमा लगा दी गई है।

बिहार में साहित्यकारों के स्मारकों का तो और बुरा हाल है। यहां के सबसे महान व्यक्ति डा. राजेन्द्र प्रसाद का पूरे राज्य में यहां तक कि उनके जन्म स्थान जीरा देयी भी सुरक्षित नहीं रह पाया तो अन्य साहित्यकारों की स्मारक कैसे सुरक्षित होगी? जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। इसी वर्ष 11 अप्रैल को बिहार में विनाशकारी तूफान आया था। इस तूफान में यहां के प्रसिद्ध कथाशिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु का घर उजड़ गया। इस तूफान ने एक साथ बिहार, असम व पं. बंगाल को अपने गिरफ्त में ले लिया था। इसमें 120 लोगों की मौत हो गई। रेणु का यह वही घर था जहां से उन्होंने 'मैला आंचल' जैसी कालजयी रचना दी और यहीं 'मारे गए गुलफाम' जैसी कहानी लिखी। इसी कहानी के आधार पर 'तीसरी कसम' नाम की फिल्म बनी। रेणु के घर समीप जिस बरगद के पेड़ पर फिल्म तीसरी कसम का प्रसिद्ध गाना ''चिठिया हो तो हर कोई बांचे'' फिल्माया गया था, तूफान ने उसे भी लील लिया। तूफान तो महज एक कारण बना। इस तूफान में अगर वह घर नहीं उजड़ता तो दो–तीन साल में रख रखाव के अभाव में जर्जर होकर नेस्तानाबूद हो जाता।

श्री रामवृक्ष बेनीपुरी गरीब परिवार में पैदा हुए थे। वे बचपन से ही माता–पिता

की छाया से वंचित हो गए थे। उन्होंने अपने पौरूष के बल पर अपना निर्माण किया। पचासों पुस्तकों की रचना की। आजादी की लड़ाई में जेल भी गए। बाद में विधायक बने।

वे लोकनायक जय प्रकाश नारायण के कट्टर समर्थक थे। अपने गांव बेनीपुर में उनको मकान बनाने का बड़ शौक था। जिस गांव को और आस–पास के वातावरण को उन्होने अपनी पुस्तक 'माटी की मूरतें' में जीवन्त कर दिया था। उस गांव की सोंधी मिट्टी से उनका बहुत लगाव था। उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि आप पटना या मुजफ्फरपुर में ही अपना मकान बना ले।

इस प्रकार की बातें सुन कर वे थोड़ा नाराज होते थे, और कहते थे 'प्यारे तुम क्या जानो गांव का मजा। बेनीपुरी तो बेनीपुर में ही पैदा हुआ है न। बेनीपुरी से बेनीपुर जाना जाता है। मेरी बचपन की साध पूरी हो रही है। मुझे शहर से गांव के लिए सीमेंन्ट और सरिया ढोते हुए बेहद खुशी हो रही है। धुन के पक्के रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने गांव में मकान बना कर ही दम लिया। आज भी उनका मकान अच्छी स्थिति में है।

हजारी प्रसाद द्विवेदी इन–गिने चिंतकों में से एक हैं जिनकी मूल निष्ठा भारत की पुरानी संस्कृति से है। भारतीय इतिहास, साहित्य, ज्योतिष और विभिन्न धर्मों का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शांति निकेतन में गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर के साथ शांति निकेतन में शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। शेष जीवन काशी में रहे। उनकी जन्म भूमि बलिया जिले का आरतदूबे गांव है।

उन्होने अपने निबन्ध संग्रह 'अशोक के फूल' में लिखा है हमारा गांव बलिया और छपरा के बीच में है। यहां के लोगों को गंगा और सरयू नदियों का कोप हमेशा सहना पड़ता है। गांव के सभी मकान बांस के छप्परों से बने हैं। हर साल आए बाढ़ से कब द्विवेदी जी का मकान बह गया, पता ही नहीं चला। आरत दूबे गांव में अब उनकी कोई स्मृति चिन्ह नहीं है।

इन साहित्यकारों ने भारत की पूरी कहानी का बयान हरेक पुस्तकों और हर भारतीय पाठक को भारत की प्राचीन संस्कृति को भी याद दिलाया है परंतु अफसोस है आज भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा तो बना दिया है।

लेकिन लोग आधुनिक जीवन शैली अपनाने के चक्कर में अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी को अनपढ़ों की भाषा मानते हैं? और सरकार भी हिन्दी साहित्यकारों की स्मारकों का कोई देखभाल नहीं करती। जिन साहित्यकारों ने भारत की आजादी में काफी योगदान दिया और भारत की संस्कृति एवं भारत की आत्मकथा को भारतवासियों के घर–घर में पहुंचाया था, आज उन्हीं साहित्यकारों के स्मारक खंडहरों में तब्दील हो रहे हैं। आखिर कब मिलेगा हमारे हिन्दी साहित्यकारों के स्मारक को अपनी पहचान. . .। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है, जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते है कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

स्वदेशी जागरण मंच की दसवीं राष्ट्रीय सभा जालंधर में संपन्न हुई। राष्ट्रीय सभा में तीन प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें हम कार्यकर्ताओं और पाठकों के लिए पत्रिका में प्रकाशित कर रहे हैं।

पारित प्रस्ताव–1

कृषि बचाओ देश बचाओ

भारत में एक तरफ बढ़ती कृषि पदार्थों की कीमतें और उसके साथ ही किसानों की आत्महत्या एक दुःखद एवं आश्चर्यजनक विरोधाभास देखने को मिल रहा है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत कृषि क्षेत्र में ऊंची मुद्रा स्फीति की दर अथवा मंदी दोनों में से केवल एक परिस्थिति के अस्तित्व की कल्पना करते हैं। जहां कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ने के कारण वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं, यह अर्थशास्त्रियों के लिए एक चुनौती है कि किसान इन बढ़ती कीमतों से लाभान्वित नहीं हो पा रहा है।

गरीब और वंचित जिसे आम आदमी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था के इस कुप्रबंधन का शिकार हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और स्वतंत्र भारतीय संस्थानों के द्वारा करवाए गए अध्ययनों के आधार पर कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों के मामले में भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। आज खाद्य एवं पौष्टिकता की सुरक्षा के बारे में भारत की गिनती दुनिया के सर्वाधिक पिछड़े राष्ट्रों में होती है, क्योंकि भारत में प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपभोग 1971 में 418 ग्राम प्रतिदिन से घटकर अब 375 ग्राम रह गया है। जबकि दुनिया ही नहीं एशियाई देशों की तुलना में यह बहुत कम है। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा, बढ़ती किसानों की आत्महत्याओं, विशेषतौर पर पिछले दशक में, के रूप में भी प्रकट हो रही है।

स्वदेशी जागरण मंच की यह स्पष्ट मान्यता है कि यह सब हमारे कृषि क्षेत्र की प्रत्यक्ष अनदेखी के कारण घटते खाद्य उत्पादन के कारण हो रहा है। स्वदेशी जागरण मंच बार–बार यह कहता रहा है कि खाद्य उत्पादों के गुजारे के स्तर पर उत्पादन एवं वितरण की यह व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आने वाली विभिन्न सरकारों की आर्थिक नीतियों के गलत होने का निर्णायक साक्ष्य है। स्वदेशी जागरण मंच का यह मानना है कि नई आर्थिक नीति में कृषि क्षेत्र पूर्णतः उपेक्षित रहा है। पिछले दो दशकों के उदारीकरण के दौर में कृषि क्षेत्र में पूंजीनिवेश लगातार घटा है, उत्पादकता में मामूली वृद्धि हुई है, कृषि योग्य भूमि कम हुई है, कृषि के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र में निवेश बढ़ नहीं रहा है। उदारीकरण से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीनिवेश का 27 प्रतिशत सिंचाई सहित कृषि में होता था, जो अब घट कर मात्र 5 प्रतिशत रह गया है। इस सबका निवल परिणाम यह है कि कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान पिछले दो दशकों में 30 प्रतिशत से घटकर 2009–10 तक मात्र 14.6 प्रतिशत रह गया है। हमारे किसानों की अथक मेहनत से उत्पादित कृषि पदार्थ गोदामों और शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) के अभाव में सड़ रहे हैं। कृषि की उपेक्षा गोदामों जैसे ढांचागत निवेश की कमी से भी परिलक्षित हो रही है।

आवश्यकता इस बात की है कि ढांचागत विकास को पुनर्परिभाषित करते हुए गोदामों और कोल्डस्टोरेज के निर्माण, बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलना, सिंचाई योग्य भूमि का विस्तार और भूमिगत जलस्तर को ऊंचा उठाना ऐसे सभी निवेश को ढांचागत निवेश ही माना जाए।

स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि जहां एक ओर कृषि में लागतें बढ़ रही हैं, साथ ही कृषि पदार्थों की कीमतें भी बढ़ रही हैं लेकिन दूसरी ओर कृषि उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है और अब बैंक, कृषि क्षेत्र में वास्तविक रूप से उधार नहीं दे रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि में लगी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खरीदे गए वाहनों पर दिया गया उधार भी कृषि उधार के रूप में बताया जा रहा है। जबकि भारतीय किसान को उस उधार का कोई लाभ नहीं मिलता तो भी ऐसा कहा जाता है कि कृषि में उधार बढ़ा है।

स्वदेशी जागरण मंच का सुझाव है कि वर्तमान में 2003 लाख टन के खाद्यान्न उत्पादन को जल्दी से 5 प्रतिशत बढ़ा कर 3.5 लाख टन किया जाए। इसके साथ ही सरकारी खरीद को भी बढ़ा कर कम से कम 5 लाख टन किया जाए। उर्वरक, बीज इत्यादि सहायक क्षेत्रों में भी उत्पादन में वृद्धि करना अपेक्षित है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हमारी ग्रामीण जनसंख्या की क्रय शक्ति बढ़ाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का कार्य करेगी।

स्वदेशी जागरण मंच की मांग है कि सरकार अपनी भूमि अधिग्रहण नीति की गहराई से समीक्षा करे। उर्वर कृषि भूमि की विशेष आर्थिक क्षेत्रों अथवा वेदांत विश्वविद्यालय सरीखे अन्य गैरकृषि उद्देश्यों के लिए लगातार भूमि का अधिग्रहण जारी है। कृषि अधिग्रहण विधेयक 2001 अपने वर्तमान स्वरूप में इन मुद्दों के समाधान में पूर्णतः असफल है। अभी तक लगभग 3 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि से हटा कर गैरकृषि उपयोग के लिए दी जा चुकी है। समय की मांग है कि कृषि योग्य भूमि में वृद्धि कर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए।

बांझ बीजों का उपयोग हमारे कृषि समाज की मुसीबतों में लगातार वृद्धि कर रहा है। ये बीज कुछ क्षेत्रों और वह भी अत्यंत अल्पकाल के लिए, सफल माने गए हैं लेकिन पूरे विदर्भ क्षेत्र में बड़े स्तर पर किसानों की आत्महत्याओं के लिए यह प्रमुख कारण सिद्ध हुए हैं।

स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय सभा मांग करती है कि

1. खाद्यान्न उत्पादन को 350 लाख टन करने और सरकारी खरीद को 50 लाख टन करने के लिए वित्तीय प्रावधानों सहित प्रभावी कदम उठाए जाए।
2. सरकार कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित करने की नीति पर तुरंत रोक लगाए और कृषि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक 2001 की पुनर्समीक्षा की जाए।

3. बीटी प्रौद्योगिकी पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए ताकि मौनसेंटो सरीखी बहुराष्ट्रीय कंपनियां परंपरागत बीज प्रणाली को खण्डित करने का प्रयास न कर सके।
4. हर खेत को पानी को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाते हुए उसे अधिकतम पांच वर्ष में प्राप्त किया जाए।
5. सभी कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो।
6. नए बीज कानून के वर्तमान स्वरूप को बदलते हुए उसमें किसान के संरक्षण को महत्व दिया जाए।
7. किसान के हितों पर चोट करने वाले कृषि जिन्सों में वायदा बाजार बंद हो।
8. देशभर में आई बाढ़ के मद्देनज़र देश के किसानों को उचित मुआवजा मिले और उनके लिए न्यूनतम आय का प्रावधान हो। ❑

पारित प्रस्ताव–2

खुदरा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाए

आज देश में खुदरा क्षेत्र में संलग्न 3.5 करोड़ लोगों और उसके साथ सहायक गतिविधियों में लगे लगभग 1.5 करोड़ लोगों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इन 5 करोड़ परिवारों (प्रति परिवार औसत 5 सदस्य की दर से 25 करोड़ जनसंख्या) की रोजी रोटी पर खतरा सरकार के द्वारा प्रस्तावित खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश खोलने की नीति के कारण है। 6 जुलाई 2001 को भारत सरकार ने एक चर्चा पत्र जारी कर खुदरा व्यापार में मल्टी ब्रांड स्टोरों को खोलने हेतु विदेशी निवेश को अनुमति देने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। यह सर्वविदित ही है कि इस प्रकार से खुदरा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को अनुमति का अर्थ है वालमार्ट, टेस्को, कैरी फार, स्पेंसर्स इत्यादि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने स्टोर खोलने की अनुमति प्रदान करना।

ध्यातव्य है कि हमारे देश में सामान्य तौर पर दुकानें 50 वर्ग फुट से 20 वर्ग फुट तक होती हैं। अधिकांश फुटकर व्यापारियों के पास तो अपनी दुकान भी नहीं होती और वे रेहड़ी, पटरी और खोमचा लगाकर अपना सामान बेचते हैं। तरह–तरह की परेशानियों का सामना करते हुए वे अपनी रोजी–रोटी किसी प्रकार चलाते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास अपने रोजगार का कोई विकल्प नहीं हैं।

दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्टोर एक लाख वर्ग फुट या उससे भी बड़े होते हैं। एक ही छत के नीचे वे तमाम प्रकार की वस्तुओं को बेचते हैं। दुनियाभर का अनुभव यह बताता है कि जहां–जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना स्टोर खोलती है, वहां–वहां तीन किलोमीटर की परिधि में कोई छोटी दुकान नहीं बचती।

खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश 1960 में हुआ। केवल चार दशकों में ही दुनिया में खुदरा व्यापार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वर्चस्व स्थापित कर लिया है। वालमार्ट, टेस्को, कैरी फार और कई अन्य खुदरा व्यापार में संलग्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यवसाय कई देशों की राष्ट्रीय आय से भी अधिक पहुंच चुका है। इसके साथ ही इन देशों में अधिकतर छोटे खुदरा व्यापारी प्रतिस्पर्धा से ही बाहर हो चुके हैं।

अमेरिका और यूरोप के बाद लेटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में कई देशों की सरकारों ने अपने यहां खुदरा व्यापार को विदेशी निवेश के लिए खोला और उन देशों में छोटे बड़े दुकानदार प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। इन बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने बड़े स्टोर स्थापित करने से ही वहां रोजगार का ह्रास हुआ।

ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले से ही यूरोप और अमेरिकी बाजारों पर काबिज हो चुकी हैं, तो उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर रूख कर लिया है और अब वे भारत में प्रवेश पाने को आतुर हो रही है। इन अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को जानबूझ कर नजरअंदाज करते हुए भारत सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आगमन से पहले ही खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश खोलने के लिए आतुर हो रही है और देश के 5 करोड़ लोगों के रोजगार का भी त्याग करने के लिए वो तैयार है। इसके लिए देश की सर्वोच्च संस्था संसद की इस हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को दर किनार करते हुए येन–केन प्रकारेण खुदरा क्षेत्र को विदेशियों के हवाले करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। चर्चा पत्र में भाड़े पर कराए शोध को आधार बनाया गया है।

इक्रियर नाम की इस शोध संस्था ने मात्र 2002 खुदरा व्यापारियों, 1318 उपभोक्ताओं और 1907 किसानों से बात करने का हवाला देते हुए पूरे देशभर के लिए निष्कर्ष निकाल दिया कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश खोलने से छोटे दुकानदारों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल उनका विकास कम होगा। लेकिन उपभोक्ताओं को इससे बहुत अधिक लाभ होगा क्योंकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संचालित स्टोरों में सामान सस्ता मिलेगा। यह भी निष्कर्ष निकाल लिया गया कि देश में किसानों को इन कंपनियों के आने से बहुत लाभ होगा।

स्वदेशी जागरण मंच सरकार के इस चर्चा पत्र की घोर भर्त्सना करता है और इस चर्चा पत्र में शामिल इक्रियर की रिपोर्ट को सिरे से खारित करता है। भाड़े पर करवाए गए ये शोध वास्तविकता से बहुत दूर हैं। देश में अभी भी बड़े शहरों में बड़ी भारतीय कंपनियों द्वारा जो स्टोर्स खोले गए हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा जिस प्रकार से पहले ''कैश एण्ड कैरी'' के नाम पर और बाद में चोर दरवाजे से भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी (जैसे भारती–वालमार्ट) में खुदरा क्षेत्र में आने से छोटे दुकानदारों पर व्यापक असर पड़ा है। विदेशी कंपनियों को अनुमति मिलने से उनका रोजगार बिलकुल चौपट होने वाला है इसमें कोई संदेह नहीं है।

इन परिस्थितियों में खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को खोलने की व्यक्त मंशा सरकार की आम आदमी के प्रति संवदेनहीनता का परिचायक है। स्वदेशी जागरण मंच इस मंशा और विदेशी कंपनियों के साथ सांठ–गांठ की घोर भर्त्सना करता है।

स्वदेशी जागरण मंच देशभर में जन–जागरण, आंदोलन, पदयात्राओं और आम सभाओं के माध्यम से इस विषय में लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय सभा मांग करती है कि –

1. सरकार आम आदमी के प्रति अपनी संवदेनहीनता छोड़ते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुदरा क्षेत्र में अनुमति का विचार त्याग दे।
2. पूर्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को थोक व्यापार (जैसे कैश एण्ड कैरी) में दिए गए लाइसेंसों के दुरुपयोग के मद्देनज़र लघु खुदरा व्यापारियों की रोजी–रोटी बचाने के लिए विदेशी कंपनियों को सिंगल ब्रांड और भारतीय कंपनियों को मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में दिए गए लाइसेंसों को सरकार तुरंत रद्द करें।
3. लघु खुदरा व्यापारियों के कल्याण हेतु एक अलग मंत्रालय का गठन किया जाए।
4. लघु खुदरा क्षेत्र की सेवाओं में सुधार हेतु उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चार प्रतिशत की दर से कर्ज दिया जाए।
5. नगरीय विकास की योजना बनाते समय रेहड़ी, पटरी व ठेलों पर चलने वाले व्यापार के संरक्षण की योजना भी साथ–साथ बने। ❑

पारित प्रस्ताव– 3

महंगाई रोको, आम आदमी को बचाओ

पिछले दो वर्षों से बढ़ती महंगाई इस देश में कहर ढह रही है। हालांकि थोक मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत बताई जा रही, खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति 16–17 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुकी है। चावल, गेंहू, खाद्य तेल, दाले, दूध, फल–सब्जियां सहित आम आदमी को रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुएं उसकी पहुंच से बाहर हो रही है। केंद्र सरकार के आला नेता विशेषतौर पर प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष यह कह कर लोगों को भरमाते हैं कि मानसून के बाद कीमतें कम हो जाएंगी, तो कभी राज्यों में चुनावों के बाद कीमतें कम होने की उम्मीद जताते हैं। लेकिन कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है।

शोध अध्ययन बताते हैं कि पिछले दो वर्षों में बढ़ती कीमतों के चलते 10 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे खिसक चुके हैं। पिछले दो वर्षों में सरकार ने गैरकृषि क्षेत्रों के बचाव के लिए विशेषतौर पर निर्यात क्षेत्र के लिए कई बचाव पैकेजों की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक दूसरी ओर मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करने का निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि उसे यह बात समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को बाजार के हवाले करने से कीमत वृद्धि में और तेजी आ गई है। उधर ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोग भी आम जनता की मुसीबतों के संदर्भ में संवेदनहीन हो गए है और सांसदों ने भी अपने वेतन 300 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ाते हुए 16,000 रूपये प्रतिमाह से 60,000 रूपये प्रतिमाह कर लिया है।

केंद्र सरकार की फिजूलखर्ची के कारण राजकोषीय घाटा भी लगातार बढ़ रहा है। 2008–09 में 3,36,992 करोड़ रूपये से बढ़कर राजकोषीय घाटा 2010–11 में 4,14,041 करोड़ रूपये पहुंच चुका है। इसके कारण देश में मुद्रा की पूर्ति लगातार बढ़ती जा रही है जो मुद्रा स्फीति को बढ़ाने में आग में घी का काम कर रही है।

खाद्यान्न उत्पादों में वायदा बाजार के बढ़ते चलन के कारण खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है और इस काम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसिया पूरी भूमिका निभा रही है।

वर्तमान सरकार की पहली और दूसरी पारी दोनों कृषि की उपेक्षा करने में पूरी तरह से सफल रही है और देश की कृषि को इस दुर्दशा तक पहुंचा दिया गया है। करोड़ों लोग भुखमरी से जुझ रहे हैं, लाखों टन खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भण्डारण की उचित सुविधा न होने के कारण सड़ रहा है। दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक इस संबंध में किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई और न किसी को दंडित किया गया है।

सरकार द्वारा बड़ी व्यापारी कंपनियों विशेषतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंर्तगत कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा।

स्वदेशी जागरण मंच मांग करता है कि–

1. राजकोषीय घाटा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुरूप सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाया जाएं।
2. खाद्यान्नों में वायदा व्यापार पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाएं।
3. कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु उचित कदम उठाए जाएं।
4. महंगाई को प्राथमिकता के आधार पर एक निश्चित कालखंड में रोकने हेतु सरकारी संकल्प जारी हो।
5. बहुराष्ट्रीय व्यापारी एजेंसियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएं।
6. सरकार निरंतर एक विस्तृत खुदरा कीमत सूचकांक का मापन और प्रकाशन करें।
7. केंद्र सरकार द्वारा महंगाई के कारणों और उसको रोकने हेतु प्रयासों और उनके प्रभावों पर एक श्वेत पत्र जारी हो।
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सभी आवश्यक वस्तुओं को शामिल करते हुए उसे और विस्तृत बनाया जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त दुरूस्त करते हुए सभी जरूरतमदों के लिए उपयोगी बनाया जाए। ❑

कश्मीर पर कमजोर नीति

■ अरुण जेटली

पंडित नेहरू अपनी ही वैचारिक बाध्यताओं के कैदी थे। उन्होंने सोचा कि विलय के दस्तावेजों पर एक मुस्लिम बहुल राज्य के हिंदू शासक के हस्ताक्षर होने चाहिए। उन्होंने तीन ऐतिहासिक भूलें कीं। सबसे पहले तो उन्होंने कश्मीर की जनता का अभिमत जानने पर जोर दिया, जिससे कश्मीर विवाद का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ। इसी के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने जनमत संग्रह संबंधी प्रस्ताव पारित किया

11 जून, 2010 से कश्मीर घाटी में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। अलगाववादियों ने हिंसा और विरोध–प्रदर्शनों का एक वातावरण घाटी पर लाद दिया है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद होने वाली सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है। इन घटनाओं के चलते जो माहौल बना है उससे यह बुनियादी सवाल खड़ा हो गया है कि इस गड़बड़ी, अशांति के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हम अभी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं?

इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों का विश्लेषण करते हुए हमें उन ऐतिहासिक भूलों पर निगाह डालने की जरूरत है जिनके चलते यह संकट उपस्थित हुआ है। सरदार पटेल को राज्यों के विलय की जिम्मेदारी दी गई थी। आजादी के बाद वह तीन वर्षों तक जीवित रहे और उन्होंने सभी राज्यों का भारत में विलय करा दिया। जम्मू–कश्मीर का मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने पास रखा था।

पंडित नेहरू अपनी ही वैचारिक बाध्यताओं के कैदी थे। उन्होंने सोचा कि विलय के दस्तावेजों पर एक मुस्लिम बहुल राज्य के हिंदू शासक के हस्ताक्षर होने चाहिए। उन्होंने तीन ऐतिहासिक भूलें कीं। सबसे पहले तो उन्होंने कश्मीर की जनता का अभिमत जानने पर जोर दिया, जिससे कश्मीर विवाद का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ। इसी के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने जनमत संग्रह संबंधी प्रस्ताव पारित किया। दूसरे, इतिहास ने भारत को पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को देश के विभिन्न भागों में जगह देने का अवसर दिया था, लेकिन पंडित नेहरू किसी भी शरणार्थी को जम्मू–कश्मीर में बसाने पर राजी नहीं हुए। जनसांख्यिकीय संतुलन समस्या का समाधान हो सकता था। तीसरे, वह जम्मू–कश्मीर को अलग और विशेष दर्जा देने पर राजी हो गए।

प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सलाहकार ने हाल में ही टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वास्तव में यह चुनाव जीतने की मशीनरी है। कश्मीर के संबंध में इससे सच बात कोई और नहीं हो सकती। शेख अब्दुल्ला के अनुरोध पर कांग्रेस कश्मीर को एक पृथक राज्य का दर्जा देने के लिए सहमत हो गई थी। हालांकि, बाद में इसने शेख को गिरफ्तार किया।

1974 में कांग्रेस ने फिर से शेख से समझौता किया। शेख की मृत्यु के बाद यही कांग्रेस उत्तराधिकारी के तौर पर उनके पुत्र फारुख अब्दुल्ला के नाम पर सहमत हुई। एक बार और पलटी खाते हुए कांग्रेस फारुख को नकारते हुए उनके दामाद जीएम शाह को वहां का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहमत हुई। इसके बाद पुनः कांग्रेस ने राज्य में शासन करने के लिए पीडीपी के साथ हाथ मिलाया।

वर्ष 2008 में कांग्रेस अंततः फिर से नेशनल कांफ्रेंस के पक्ष में खड़ी हो गई। यह कश्मीर में कांग्रेस की दीर्घकालिक स्थायी रणनीति की बजाय उसके सत्ता के लालच को ही दर्शाता है। इससे कश्मीर की समस्याओं में और इजाफा हुआ। राज्य में दौरे पर गई संसदीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य होने के कारण मैंने देखा कि कश्मीर घाटी में जनता के बीच काफी गुस्सा है।

कश्मीर में घटी हालिया घटनाओं का स्पष्ट विश्लेषण यही है कि पिछले 63

वर्षो में अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को दिए गए पृथक राज्य के दर्जे ने इसे अलगाववाद की ओर ही धकेलने का काम है।

सवाल है ऐसा क्यों हुआ? शुरुआत में ही पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा देने का निर्णय लिए जाने से वहां अलगाववादी समूहों को आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। बाद में पाकिस्तान द्वारा परंपरागत युद्ध छेड़े जाने से भारत ने वहां अलगाववाद के विचार को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। हालांकि, राज्य की मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने स्वायत्तता और स्वशासन जैसे मुद्दों के आधार दबाव बनाए रखा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे में धारा 370 के कारण केंद्रीय सत्ता के पास केवल रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और संचार के विषय ही हैं।

1953 के घटनाक्रम के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में जम्मू–कश्मीर को भी लाया गया और निर्वाचन आयोग के दायरे में भी। विशेष राज्य के दर्जे के कारण भारत और जम्मू–कश्मीर के बीच संवैधानिक और राजनीतिक संबंध लगातार कमजोर होते रहे हैं। स्वायत्तता और स्वशासन की मांगें पृथकता के मनोविज्ञान को कायम किए हुए हैं। केंद्र की एक कमजोर सरकार लगातार नकारात्मक संकेत देने में लगी हुई है।

जब हम इन मसलों पर बातचीत करने के लिए राजी होते हैं और इस बहस में समय खपाते हैं कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम में कटौती की जानी चाहिए या उसे समाप्त कर देना चाहिए तब हम अलगाववादी नेताओं की ताकत ही बढ़ा रहे होते हैं।

अलगाववादी की जबान सामान्य तौर पर केवल शुक्रवार को ही खुलती है। उन्हें तब एक प्रकार की वैधानिकता मिल जाती है जब सांसद उनके घरों में जाते हैं। इस स्थिति में उनके लिए आजादी दूर के सपने की बजाय पास की हकीकत नजर आने लगती है। घाटी में किसी को यह अहसास नहीं है कि आजादी का मतलब क्या होगा? उन्होंने दरअसल यह तक नहींसोचा है कि क्या ऐसा कोई आजाद राज्य आर्थिक और राजनीतिक रूप से व्यावहारिक होगा?

अलगाववादियों ने यह महसूस कर लिया है कि न तो परंपरागत युद्ध और न ही आतंकवाद कश्मीर को भारत से अलग कर सकता है। इसी कारण अलगाववादियों ने अब भीड़ की हिंसा को अपना हथियार बनाया है। हिंसा ही अब उनकी रणनीति है। उन्हें मालूम है कि हिंसा भड़कने पर सुरक्षा कार्रवाई होती है, जिसमें लोग मारे जाते हैं या घायल होते हैं।

अलगाववादियों का ख्याल है कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न कर वे लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने में सफल हो जाएंगे। शांत कश्मीर में अलगाववादी नेता अप्रासंगिक हो जाते हैं। कश्मीर के संदर्भ में हमारी रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए।

अलगाववादियों के प्रति हमें सख्ती प्रदर्शित करनी होगी। हमें कभी भी ऐसा संकेत नहीं देना चाहिए कि भारत अलगाववादियों के आगे झुक सकता है। हमें यह दो–टूक शब्दों में स्पष्ट कर देना चाहिए कि आजादी असंभव है। भारत कभी भी कश्मीरी क्षेत्र के मामले में किसी तरह के समझौते अथवा लेन–देन के लिए राजी नहीं है। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। भारत को यह बताने में किसी तरह का संकोच नहीं प्रदर्शित करना चाहिए कि कश्मीर में आम जनता की परेशानियों के लिए अलगाववादी ही जिम्मेदार हैं।

भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह कश्मीर के आम लोगों के लिए सुरक्षित, संपन्न और उत्पीड़न से मुक्त जीवन सुनिश्चित करे। ❑

गर्त में गांव

2021 तक भारत में महानगरों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और हर महानगर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे होंगे। अमेरिकन इंडिया फाऊंडेशन ऐसा मानता है और वहीं भारत सरकार की जनगणना के मुताबिक भी बीते एक दशक में गांवों से तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने पलायन किया है, जबकि निवास स्थान छोड़ने को आधार मानें तो 30 करोड़ लोगों ने अपना निवास स्थान छोड़ा है।

■ **शिरीष खरे**

2021 तक भारत में महानगरों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और हर महानगर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे होंगे। अमेरिकन इंडिया फाऊंडेशन ऐसा मानता है और वहीं भारत सरकार की जनगणना के मुताबिक भी बीते एक दशक में गांवों से तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने पलायन किया है, जबकि निवास स्थान छोड़ने को आधार मानें तो 30 करोड़ लोगों ने अपना निवास स्थान छोड़ा है।

योजना आयोग के मुताबिक 1999–2000 में अप्रवासी मजदूरों की कुल संख्या 10 करोड़ 27 हजार थी। जबकि मौसमी पलायन करने वालों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा अनुमानित की गई। कई जानकारों की राय में असली संख्या सरकारी आंकड़े से 10 गुना ज्यादा भी हो सकती है।

वर्ष 2000 की राष्ट्रीय कृषि नीति में कहा गया था कि कृषि अपेक्षाकृत लाभ का पेशा नहीं रह गया है। योजना आयोग के मुताबिक 1990 के दशक के मध्यवर्ती सालों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की बढ़ोत्तरी घटती चली गई है। सिंचाई के साधन वाले भूमि क्षेत्र और सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर भूमि क्षेत्र के बीच आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। विश्व–बाजार में मूल्यों का तेज उतार–चढ़ाव से नकदी फसलों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को घाटा उठाना पड़ रहा है। इसके चलते बड़ी संख्या में किसानों द्वारा खेती का काम छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बीते लंबे अरसे से कृषि में लाभ की स्थितियों के मुकाबले लागत और जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं और सरकारी सहायता लगातार कम होती जा रही है। 1960 में प्रति किसान भूस्वामित्व की इकाई का आकार 2.6 हेक्टेयर था जो 2000 में घटकर 1.4 हेक्टेयर रह गया। कुल मिलाकर बीते चार दशकों में भूस्वामित्व की ईकाई का आकार 60 प्रतिशत घटा है। भारत के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी (66 डॉलर) विकसित देशों जैसे अमेरिका के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी (21 हजार डॉलर) के मुकाबले न के बराबर है। 1995 में कुल आबादी का 54.6 प्रतिशत हिस्सा खेतिहर आबादी का था जो 2005 में घटकर 49.9 प्रतिशत रह गया।

बड़ी संख्या में किसानों द्वारा खेती का काम छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बीते लंबे अरसे से कृषि में लाभ की स्थितियों के मुकाबले लागत और जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं और सरकारी सहायता लगातार कम होती जा रही है।

योजना आयोग के मुताबिक 1983 से 1994 के बीच रोजगार में बढ़ोत्तरी की दर 2.03 प्रतिशत थी जो साल 1994 से

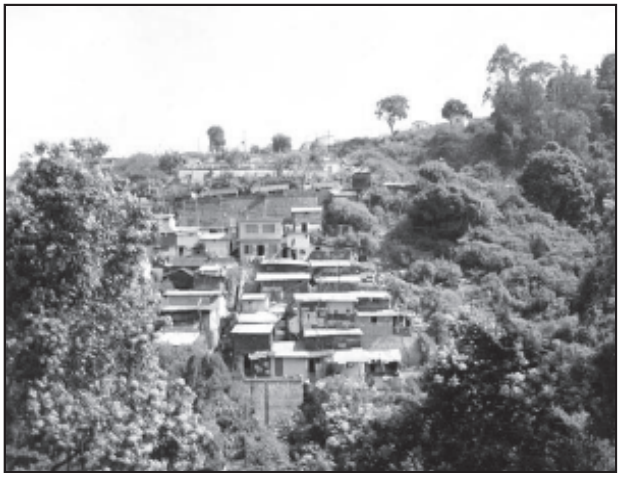

2005 के बीच घटकर 1.85 प्रतिशत हो गई। 2005 में असंगठित क्षेत्र में खेतिहर मजदूरों की संख्या 98 प्रतिशत थी। तकरीबन खेतिहर मजदूरों में 64 प्रतिशत का अपना रोजगार है जबकि 36 प्रतिशत दिहाड़ी मजदूर हैं। 1983 से 1994 के बीच रोजगार की दर 1.04 प्रतिशत थी जो 1994 से 2005 के बीच घटकर 0.08 प्रतिशत हो गई। 1994 से 2005 के बीच बेरोजगारी की दर में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह, 1983 से 1994 के बीच रोजगार की बढ़ोतरी की दर 2.03 प्रतिशत थी जो 1994 से 2005 के बीच घटकर 1.85 प्रतिशत हो गई। योजना आयोग के अनुसार एक किसान परिवार का औसत मासिक खर्च 2770 रुपये है जबकि खेती के अलावा दिहाड़ी मजदूरी सहित अन्य स्रोतों से उसकी औसत मासिक आमदनी 2115 रुपये होती है। जाहिर है एक किसान परिवार का औसत मासिक खर्च उसकी मासिक आमदनी से तकरीबन 25 प्रतिशत ज्यादा है। इसीलिये भारतीय किसानों को कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

बीते 12 सालों में 2 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इनमें से अधिकतर किसान कपास और सूरजमुखी जैसी नकदी फसल की खेती करने वाले रहे हैं। उत्पादन की लागत बढ़ने के चलते ऐसे किसानों को साहूकारों से ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ा है। कीटनाशक और उर्वरक बेचने वाली कंपनियों ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों को कर्ज देना शुरु किया, जिससे किसानों पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया। एक तो गरीब किसानों की आमदनी बहुत कम है और कर्ज लेने के कारण (शादी ब्याह वगैरह) कहीं ज्यादा होने से वह भंवरजाल से निकल नहीं पा रहे हैं।

योजना आयोग के अनुसार एक किसान परिवार का औसत मासिक खर्च 2770 रुपये है जबकि खेती के अलावा दिहाड़ी मजदूरी सहित अन्य स्रोतों से उसकी औसत मासिक आमदनी 2115 रुपये होती है। जाहिर है एक किसान परिवार का औसत मासिक खर्च उसकी मासिक आमदनी से तकरीबन 25 प्रतिशत ज्यादा है। इसीलिये भारतीय किसानों को कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

खाद्य व कृषि संगठन द्वारा विश्व में आहार–असुरक्षा की स्थिति पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 23 करोड़ यानी 21 प्रतिशत लोगों को रोजाना भर पेट भोजन नहीं मिलता है। 1983 में ग्रामीण भारत के हर आदमी को रोजाना औसतन 2309 किलो कैलोरी का आहार हासिल था जो साल 1998 में घटकर 2011 किलो कैलोरी रह गया। 1990 के दशक में मजदूरों और किसानों की खरीददारी की क्षमता में काफी कमी आई। इससे जहां ग्रामीण भारत में खेतिहर संकट गहराया तो वहीं अनाज के सरकारी गोदामों में अनाज सड़ता रहा। न्यूट्रिशनल इंटेक इन इंडिया के मुताबिक 1993–94 में प्रतिव्यक्ति रोजाना औसत कैलोरी उपभोग की मात्रा 2153 किलो कैलोरी थी जो साल 2004–05 में घटकर 2047 किलो कैलोरी हो गई। इस तरह कुल 106 किलो कैलोरी की कमी आई। ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 66 प्रतिशत आबादी रोजाना 2700 किलो कैलोरी से कम का उपभोग करती है। विश्व बैंक के अनुसार औसत से कम वजन के सबसे ज्यादा बच्चे भारत में ही हैं। भारत में 5 राज्यों और 50 प्रतिशत गांवों में कुल

कुपोषितों की तादाद का 80 प्रतिशत हिस्सा रहता है। 5 साल से कम उम्र के 75 प्रतिशत बच्चों में आयरन की कमी है और 57 प्रतिशत बच्चों में विटामिन 'ए' की कमी से पैदा होने वाले रोग के लक्षण हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दौरान औसत से कम वजन के बच्चों की संख्या शहरों के (38:1 प्रतिशत) मुकाबले गांवों में (450 प्रतिशत) ज्यादा पाई गई। जबकि औसत से कम वजन के बच्चों की संख्या में लड़कों (45 प्रतिशत) की तुलना में लड़कियों (53.2 प्रतिशत) ज्यादा पाई गईं। अगर जातिगत आधार पर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के बच्चों में 53 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के बच्चों में 56 प्रतिशत बच्चे औसत से कम वजन के पाये गए। जबकि बाकी जातियों में उनकी संख्या 44 प्रतिशत है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण भारत में 18.7 प्रतिशत परिवारों के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किया जाने वाला कोई भी कार्ड नहीं है।

एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2008 के मुताबिक ग्रामीण इलाकों के अनुसूचित जनजाति के तबके में साक्षरता दर सबसे कम (42.1 प्रतिशत) पायी गई है। जबकि अनुसूचित जाति के के तबके में साक्षरता दर (47.1) है। सबसे कम भूमि पर अधिकार रखने वाले वर्ग में साक्षरता दर 52 प्रतिशत है। जबकि सबसे बड़े आकार की ज्यादा भूमि पर अधिकार रखने वाले वर्ग में साक्षरता दर 64 प्रतिशत है। शिक्षा के हर पैमाने पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मौजूदगी कम है। ग्रामीण इलाके की महिलाओं और पुरुषों के बीच साक्षरता दर क्रमशः 51.1 प्रतिशत और 68.4 प्रतिशत पायी गई। 2009 में 5 साल की उम्र वाले 50 प्रतिशत बच्चे ही स्कूलों में नामांकित पाये गए।

देश में एक हजार की आबादी पर महज 0.6 एमबीबीएस डॉक्टर ही हैं। इसी तरह दवाइयों के दामों में तेज गति से बढ़ोतरी हुई है। मरीज को उपचार के लिए अपने खर्च का औसतन 75 प्रतिशत हिस्सा दवाइयों पर न्यौछावर करना पड़ता है। दवाइयां महंगी होने की मुख्य वजहों में नये पेटेंट कानून, दवा निर्माताओं के ऊपर कानूनों का उचित तरीके से लागू न होना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं का बाजार में प्रचलित होना है। यह भी दक्षिण के राज्यों या धनी राज्यों में ज्यादा हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक तकरीबन 25 प्रतिशत भारतीय सिर्फ अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। महज 10 प्रतिशत भारतीयों के पास कोई न कोई स्वास्थ्य बीमा है और ये बीमा भी उनकी जरुरतों के मुताबिक नहीं है। वालेंटेरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक डॉक्टरों की संख्या कम होना भी एक बड़ी समस्या है। देश में एक हजार की आबादी पर महज 0.6 एमबीबीएस डॉक्टर ही हैं। इसी तरह दवाइयों के दामों में तेज गति से बढ़ोतरी हुई है। मरीज को उपचार के लिए अपने खर्च का औसतन 75 प्रतिशत हिस्सा दवाइयों पर न्यौछावर करना पड़ता है। दवाइयां महंगी होने की मुख्य वजहों में नये पेटेंट कानून, दवा निर्माताओं के ऊपर कानूनों का उचित तरीके से लागू न होना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं का बाजार में प्रचलित होना है। यह भी दक्षिण के राज्यों या धनी राज्यों में ज्यादा हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3 के अनुसार गांवों में 43 प्रतिशत महिलाओं को प्रसव से पहले कम से कम तीन बार अनिवार्य रूप से चिकित्सा की सुविधा मिल पाती है। शिशु–मृत्यु दर के मामले में प्रति हजार नवजात शिशुओं में से औसतन 60 काल के गाल में समा जाते हैं। 12–13 महीने के नवजात शिशुओं में से महज 44 प्रतिशत को ही सभी प्रकार के रोग–प्रतिरोधी टीके लग पाते हैं।

भारत का मानव विकास सूचकांक 0.619 है। यह कुल 177 देशों के बीच 128वां स्थान दर्शाता है। भारत का मानव–निर्धनता सूचकांक 31.3 है, जो 108 देशों के बीच 67वां स्थान दर्शाता है। योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मुताबिक ग्रामीण गरीबों की कुल संख्या का 41 प्रतिशत हिस्सा खेतिहर–मजदूर वर्ग से है। जबकि ग्रामीण गरीबों की कुल संख्या का 80 प्रतिशत हिस्सा अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से हैं। मानवीय विकास का यह आकलन उजागर कर देता है कि भारत के नागरिक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीने में कहां तक समर्थ हैं। इससे यह भी उजागर होता है कि भारत के नागरिक कहां तक शिक्षित हैं और मानव विकास के सूचकांक पर उनका जीवन स्तर कैसा है। ❑

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाना किसानों के स्वाभिमान पर हमला : मुरलीधर राव

गांवों के विकास के बिना भारत के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि देश के 90 प्रतिशत लोगों की कृषि क्षेत्र में रोगार उपलब्ध है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक मुरलीधर राव ने जरीडीह प्रखंड अंतर्गत गांगजोरी ग्राम (बोकारो) में मंच द्वारा अगस्त माह में आयोजित विशाल किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा।

श्री राव ने कहा कि विश्व में सर्वाधिक किसान भारत में हैं। पिछले 40–50 वर्षों से किसानों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। जिस सरकार की जेब में 4 पैसा नहीं है और जो देश को 90 प्रतिशत रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र में चवन्नी खर्च करने में दस बार सोचती है, वैसी सरकार किसके दम पर कहती है कि भारत को अमेरिका के साथ दंगल में उतारेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार कृषि को प्रोत्साहन देने के बजाय अन्यायपूर्ण ढंग से विदेशों में गेहूं का आात कर रही है और वालमार्ट जैसी विदेशी कंपनियों के लिए भारत में विक्रय केंद्र खोलने की दिशा में उदारता दिखा रही है। यह यहां के किसानों के स्वाभिमान पर कुठाराघात है।

श्री राव ने इन मुद्दों पर विचार कर किसानों से संगठित होने की अपील की। उन्होंने पेप्सी कोला की बजाय छाछ और दूध का उपयोग करने जैसी छोटी बातों पर गंभीरता से ध्यान देने की बात कही।

सम्मेलन की अध्यक्षता कार्यक्रम के संयोजक सेवानिवृत शिक्षक संतोष कुमार महतो ने की।

सम्मेलन में लगभग 4000 से 5000 किसान सम्मिलित हुए, जिनके बीच पोद्दार ट्रैक्टर्स की ओर से लक्की ड्रा किया गया। चार किसानों को महिन्द्रा ट्रैक्टर की चाबी श्री राव ने सौंपी।

सम्मेलन में भारतीय किसान संघ के प्रदेश संगठन मंत्री श्री विनोद कुमार ने किसानों के सशक्तिकरण और जैविक खाद के प्रयोग पर जोर दिया।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. आर.के. ठाकुर और उदय कुमार ने बायो डीजल बनाने और उसके पौधे जेट्रोफा की खेती करने को प्रोत्साहित किया। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से समुचित सहायता का आश्वास दिया।

डॉ. सुधीर झा ने किसानों का मनोबल बढ़ाया। हजारी बाग के पूर्व सांसद सह मंच के प्रांतीय संयोजक महावीर लाल विश्वकर्मा ने किसानों को कहा कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की बजाय हम सभी को स्वदेशी अपनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिनेश मंडल, बंदेशंकर सिंह, एस. बरियार, दीपक चौधरी, संघ के जिला व्यवस्था प्रमुख अर्जुन सिंह, अरविंद त्रिपाठी, अमरेन्द्र कुमार ने सम्मेलन को संबोधित किया।

सम्मेलन स्थल पर विज्ञान केंद्र, मोदी केयर के उत्पादों, टीवीएस के वाहनों और महिन्द्रा ट्रैक्टर्स की आकर्षक प्रदर्शनी लगयी गयी थी।

विकास के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी — मुरलीधर राव

विश्व व्यापार संगठन के ढांचा में विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए बदलाव जरूरी है। भारत के विकास के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। यह बात श्री मुरलीधर राव ने हिन्दुस्तान अखबार के पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।

स्वदेशी जागरण मंच की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि मंच 15 वर्षों से विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का विरोध करते आ रहा है।

मंच के प्रयास से भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में हिस्सा नहीं लिया।

एक प्रश्न के उत्तर में राव ने कहा कि कृषि न केवल भारत की जीवन पद्धति है बल्कि रोजगार का प्रमुख स्रोत भी है। जिसके कारण देश के विकास के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों में केवल आठ प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है। 92 प्रतिशत रोजगार कृषि व कृषि आधारित छोटे व लघु उद्योगों में मिलता है।

उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति सरकार गंभीर नहीं है, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को सात प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है जबकि बड़े उद्योगों को केवल 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है।

श्री राव ने कहा कि देश के विकास के लिए किसानों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना होगा। अमेरिकी मॉडल के आधार पर किसानों का विकास नहीं होगा। क्योंकि अमरीका में किसानों को 150 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जबकि भारत के अंदर किसानों को अनुदान देने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना करते हुए श्री राव ने कहा कि वालमार्ट कंपनी को भारत आने के बाद किसानों की सेहत पर वालमार्ट की विक्रय व्यवस्था का कोई असर नहीं पड़ेगा तथा स्थिति पहले की अपेक्षा कमजोर होगी।

क्योंकि अमरीका के अंदर वालमार्ट कंपनी के माध्यम से कृषि उत्पादों की बिक्री की जा रही है लेकिन किसानों को कुछ लाभ नहीं मिला तथा आज भी किसानों को 150 प्रतिशत अनुदान देना पड़ा है।

एक प्रश्न के उत्तर में श्री राव ने देशवासियों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए कहा कि विदेशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब बच्चों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश में है। सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि विदेशी उत्पादों का प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है।

स्वदेशी जागरण मंच का धरना-प्रदर्शन

स्वदेशी जागरण मंच बोकारो जिला ने सरकार की गलत आर्थिक नीति के तहत खुदरा व्यापार एवं रक्षा उत्पाद क्षेत्र में शत–प्रतिशत विदेश पूंजी निवेश, प्रस्तावित परमाणु जवाबदेही बिल व कृषि योग्य भूमि अधिग्रहण के विरोध में अगस्त माह में जिला मुख्यालय (बोकारो) पर धरना प्रदर्शन किया। जिसमें भारी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया तथा सरकार की वर्तमान भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में नारेबाजी किया।

प्रांतीय मेला प्रमुख अमेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की खुदरा व्यापार एवं रक्षा उत्पादन क्षेत्र में शत–प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति से देश के सामने विकट परिस्थिति पैदा करने वाली है। अजय कुमार चौधरी दीपक ने परमाणु बिजली के अवशिष्ट भूमि में दबाए जाने से होने वाले खतरे की ओर ध्यान आकृष्ट किया। स्वयं सेवी संगठन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित लाल सिंह ने बोकारो एवं इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधन से द्वारिका, झीरकी ग्राम एवं साथ के पांच गांवों को गोद लेने की मांग की।

सभा में योगश्वर महतो, दिलीप वर्मा, रोहित लाल सिंह, आरती राणा, देवीलाल महतो, धनंजय, विवेकानंद झा, जय शंकर प्रसाद, नवीन कुमार सिंहा आदि ने अपने विचार व्यक्त किया।